[2014] 2 उम. नि. प. 331

ललिता कुमारी

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य

12 नवम्बर, 2013

मुख्य न्यायमूर्ति पी. सतशिवम्, न्यायमूर्ति डा. बी. एस. चौहान, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस. ए. बोब्डे

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – संज्ञेय मामलों में इत्तिला – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो उसे रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है और कोई प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय नहीं है किन्तु यदि इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है और उससे जांच की आवश्यकता उपदर्शित होती है तो प्रारंभिक जांच केवल यह अभिनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 [सपठित दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 166-क] – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – दंड संहिता में धारा 166-क के पुरःस्थापन से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध करने की अनिवार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – प्रथम इत्तिला – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है क्योंकि इस धारा में प्रयुक्त ''शैल'' शब्द पुलिस अधिकारी को प्रथम इत्तिला लेखबद्ध करने से पूर्व प्रारंभिक जांच करने का कोई विवेकाधिकार नहीं देता है और इसमें ''इत्तिला'' शब्द का किसी विशेषण के बिना प्रयोग करना यह द्योतित करता है कि पुलिस को वह इत्तिला लेखबद्ध करनी होगी भले ही उसकी युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के संबंध में उसका समाधान न हुआ हो ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – प्रथम इत्तिला – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच तभी अनुज्ञेय है यदि इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है और प्रारंभिक जांच की परिधि, प्राप्त की गई इत्तिला की सत्यता

या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है बल्कि केवल यह अभिनिश्चित करना है कि क्या इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 – संज्ञेय मामलों में इत्तिला – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – यदि प्रारंभिक जांच की परिणति शिकायत को बन्द करने में होती है तो ऐसी प्रविष्टि की एक प्रति इत्तिलाकर्ता को तत्काल उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उसमें शिकायत को बन्द करने और आगे कार्यवाही न करने के कारण भी संक्षेप में दिए जाने चाहिएं ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 [सपठित पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) – धारा 44] – प्रथम इत्तिला का रजिस्ट्रीकृत किया जाना – चूंकि साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी किसी पुलिस थाने में प्राप्त की जाने वाली समस्त इत्तिला का अभिलेख होता है इसलिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित समस्त इत्तिला, चाहे उसके परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है या उसके परिणामस्वरूप कोई जांच की जानी है, उक्त डायरी में आज्ञापक रूप से और सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंबित होनी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने के विनिश्चय का भी उल्लेख अवश्य ही किया जाना चाहिए ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 [सपठित संविधान, 1950 – अनुच्छेद 21] – प्रारंभिक जांच किए बिना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना – चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् अन्वेषण करना विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत करने से अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि संहिता में ऐसे पर्याप्त रक्षोपायों का उपबंध है जो मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराए जाने की दशा में किसी व्यक्ति की स्वाधीनता को संरक्षण प्रदान करते हैं ।

इस निर्देशित मामले में जो महत्वपूर्ण विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत होता है वह यह है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित कोई इत्तिला प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य है या पुलिस अधिकारी के पास उसे रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व ऐसी इत्तिला की सत्यता की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है ? संविधान के अनुच्छेद 32 के

अधीन प्रस्तुत रिट याचिका ललिता कुमारी (अवयस्क) द्वारा अपने पिता के माध्यम से उसकी अवयस्क पुत्री के, जिसका अपहरण किया गया है, संरक्षण के लिए प्रस्तुत प्रत्यर्थियों के विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट या इसी प्रकृति के निदेश जारी करने के लिए फाइल की गई है । उक्त रिट याचिका में शिकायत यह है कि याची द्वारा तारीख 11 मई, 2008 को संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी । इसके पश्चात्, जब पुलिस अधीक्षक के समक्ष समावेदन किया गया था तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । याची के अनुसार, इसके पश्चात् भी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने या अवयस्क बालिका की बरामदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे । इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य [(2008) 7 एस. सी. सी. 164] वाले मामले में संपूर्ण देश में भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत करने में बरती जाने वाली विषमता की अवेक्षा करने के पश्चात् भारत संघ, समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों/पुलिस आयुक्तों को इस आशय की सूचना जारी की कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए और उनकी प्रतियां परिवादियों को सौंपी नहीं गईं तो वे संबंधित मजिस्ट्रेटों के समक्ष परिवाद याचिकाएं फाइल करके पुलिस को तुरंत मामला रजिस्ट्रीकृत करने और अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए समुचित निदेश देने के लिए समावेदन कर सकते हैं जिसके न हो सकने पर ऐसे अपचारी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो अवमान कार्यवाहियां अवश्य आरंभ की जानी चाहिए । उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में जब मामले की उसी न्यायपीठ द्वारा ललिता कुमारी वाले उपरोक्त मामले में सुनवाई की गई थी तब याची की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने अपने इस दावे को प्रक्षेपित किया कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली इत्तिला प्राप्त करने पर उसके लिए संहिता की धारा 154 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करना अपरिहार्य है । दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह दलील दी कि किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी इत्तिला प्राप्त करने पर, जिससे कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, विधि के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि समुचित मामलों में

उसे रिपोर्ट में किए गए दोषारोपणों की सत्यता या अन्यथा के संबंध में किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच कराने का विवेकाधिकार प्राप्त है । इस मुद्दे के संबंध में इस न्यायालय के परस्पर-विरोधी विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए उक्त न्यायपीठ ने इसे किसी बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर दिया । उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए ललिता कुमारी से संबंधित मामले की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2012) 4 एस. सी. सी. 1] वाले मामले में सुनवाई की गई थी जिसमें इस न्यायालय ने भारत संघ, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न काउन्सेलों को सुनने के पश्चात् और सभी परस्पर-विरोधी विनिश्चयों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करने के पश्चात् यह मामला एक संविधान पीठ को निर्देशित कर दिया । अतः, इस संविधान पीठ के समक्ष एकमात्र प्रश्न संहिता की धारा 154 के निर्वचन और आनुषंगिक रूप से धारा 156 और धारा 157 पर भी विचार करने से संबंधित है । उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश का तदनुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – हमारे देश की दंड विधि प्रक्रिया में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक प्रासंगिक दस्तावेज़ है और इत्तिला करने वाले के दृष्टिकोण से इसका मुख्य उद्देश्य दंड विधि को गतिशील बनाना है और अन्वेषक प्राधिकारियों के दृष्टिकोण से अभिकथित दांडिक गतिविधि के बारे में जानकारी अभिप्राप्त करना है ताकि वह दोषी को ढूंढने और उससे पूछताछ करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में समर्थ हो सके । इतिहासपरक अनुभव के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें विधिमान्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के पीड़ित/इत्तिलाकर्ता व्यक्ति तथा अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से तंग किए जाने और मिथ्या आरोपों की जांच किए जाने की शिकायतें सही पाई गई हैं । (पैरा 23 और 24)

दंड संहिता की धारा 166-क में यह अधिकथित किया गया है कि यदि कोई पुलिस सेवक (पुलिस अधिकारी) धारा 326-क, धारा 326-ख, धारा 354, धारा 354-ख, धारा 370, धारा 370-क, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराधों के संबंध में संहिता की धारा 154(1) के अधीन उसे दी गई कोई इत्तिला लेखबद्ध करने में असफल रहता है तो उसे उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह मास

से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । इस प्रकार, विद्वान् काउन्सेल का पक्षकथन यह है कि इस उपबंध से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है । अतः, उसके अनुसार, विधान-मंडल ने यह स्वीकार किया है कि जहां तक अन्य संज्ञेय अपराधों का संबंध है, पुलिस के पास प्रारंभिक जांच करने का तब विवेकाधिकार है यदि इत्तिला की शुद्धता के बारे में कोई संदेह होता है । (पैरा 33)

निर्वचन की प्रत्येक पद्धति में किसी कानून के निर्वचन का सर्वप्रथम और प्रमुख सिद्धांत निर्वचन का शाब्दिक नियम है । प्रारंभ में यह देखना है कि उपबंध में क्या कहा गया है । परिणामस्वरूप, धारा 154 में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निश्चायक कारक है । संहिता की धारा 154(1) के पठन मात्र से यह उपबंधित है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी । संहिता की धारा 154(1) की भाषा में कोई संदिग्धता नहीं है । (पैरा 36)

संहिता की धारा 154(1) में "शैल" शब्द का प्रयोग करने से यह विधायी आशय स्पष्टतः दर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है यदि पुलिस को दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संहिता की धारा 154(1) के संदर्भ में "शैल" शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस द्वारा सभी संज्ञेय अपराधों से संबंधित समस्त इत्तिला तुरंत रजिस्ट्रीकृत की जाए और विधि के उपबंधों के अनुसार उनका अन्वेषण किया जाए । अपराधों का अन्वेषण और अपराधियों का अभियोजन राज्य के कर्तव्य हैं । "संज्ञेय अपराधों" के लिए पुलिस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने और संहिता की धारा 157 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय अन्वेषण करने का कर्तव्य डाला गया है । यदि पुलिस को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के मामले में कोई विवेकाधिकार, विकल्प या ढील अनुज्ञात की जाती है तो इससे लोक व्यवस्था की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इससे पीड़ितों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है जिसमें उनके समानता के

मूल अधिकार का अतिक्रमण भी है । अतः, वह संदर्भ जिसमें संहिता की धारा 154(1) में "शैल" शब्द प्रकट होता है, वह उद्देश्य जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है और वे परिणाम जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के निदेश का अतिलंघन करने से निकलेंगे, इन सभी कारकों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि धारा 154(1) में प्रयुक्त "शैल" शब्द को उसका साधारण अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उसका स्वरूप आज्ञापक है । संहिता की धारा 154(1) के उपबंधों का कानूनी स्कीम के प्रकाश में पठन करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच आरंभ करने के लिए कोई विवेकाधिकार प्रदान करने की गुंजाइश नहीं है । विधि की यह स्थापित स्थिति है कि यदि उपबंध असंदिग्ध है और विधायी आशय स्पष्ट है तो न्यायालय को अर्थान्वयन के किसी अन्य नियम को लागू करने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त कारणों से संहिता की धारा 154(1) में इस संबंध में कोई संदिग्धता नहीं है और वह स्पष्ट निबंधनों में है । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संहिता की धारा 39 प्रत्येक व्यक्ति पर कतिपय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला देने का कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करती है जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 126, 302, 64-क, 382, 392 इत्यादि के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल हैं । यह सुझाव देना असंगत होगा कि यद्यपि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह कोई अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला दे किन्तु पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वह रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करे । संहिता की धारा 39 में आने वाले "शैल" शब्द को वही अर्थ दिया जाना है जो कि संहिता की धारा 154(1) में आने वाले "शैल" शब्द को दिया जाता है । (पैरा 40, 42, 43, 44 और 46)

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, वास्तव में वह इत्तिला है जो सबसे पहले प्राप्त होती है जो कि या तो लिखित में दी जाती है या लेखबद्ध की जाती है । राज्य सरकार द्वारा विहित डायरी में इसके केवल "सार" की प्रविष्टि नहीं की जाती है । "साधारण डायरी" (जो कि कुछ राज्यों में "थाना डायरी" या "दैनिक डायरी" के रूप में जानी जाती है) संहिता की धारा 154 के अधीन नहीं रखी जाती है बल्कि वह यथास्थिति, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के अधीन उन राज्यों में जिन्हें यह लागू होती है या किसी राज्य को लागू पुलिस अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अधीन या किसी राज्य के पुलिस मैनुअल के अधीन रखी जाती है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का

रजिस्ट्रीकरण एक पुस्तक में जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक या प्रथम इत्तिला रजिस्टर कहा जाता है, करना होता है । निस्संदेह, इसके अलावा, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के सारांश या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के सार का उल्लेख इसके साथ-साथ सुसंगत राज्य उपबंधों के अधीन यथास्थिति, संबंधित पुलिस अधिनियम या नियमों में आदिष्ट साधारण डायरी में भी किया जा सकता है । साधारण डायरी किसी पुलिस थाने में होने वाले सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों/घटनाओं का अभिलेख है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों का आना-जाना, कार्यभार का सौंपना या ग्रहण करना, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के ब्यौरे, वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे, इत्यादि भी हैं । इसी संदर्भ में ही पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत की जा रही प्रत्येक प्रथम इत्तिला के सारांश या सार का उल्लेख भी साधारण डायरी में होता है चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना पुलिस थाने की बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है । चूंकि साधारण डायरी एक ऐसा अभिलेख है जो कालानुक्रम में दैनिक आधार पर रखा जाता है (प्रत्येक दिन नए संख्यांक 1 से आरंभ होकर), इसलिए साधारण डायरी प्रविष्टि निर्देश का भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में साथ-साथ उल्लेख किया जाता है चूंकि ये दोनों एक साथ तैयार की जाती हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक वार्षिक आधार पर दिए गए उसके संख्यांक सहित रखी जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दिया जाने वाला एक विशिष्ट वार्षिक संख्यांक होता है । यह उसी तरीके से होता है जैसे न्यायालयों में मामला संख्यांक दिए जाते हैं । इसी कारण, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों द्वारा और न्यायालयों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्टों के रजिस्ट्रीकरण पर कड़ा नियंत्रण और नजर रखना संभव होता है । प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है । जैसे ही पुलिस थाने में शिकायत दी जाती है, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्रथम इत्तिला पुस्तक में अभिप्राप्त किए जाते हैं । दूसरी ओर, साधारण डायरी में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है । इसके अलावा, कभी-कभी की गई शिकायत में पृष्ठों की संख्या काफी हो सकती है, इस दशा में साधारण डायरी में शिकायत का सारांश न कि पूरी शिकायत लेखबद्ध की जाती है । यह इस सुझाव से मेल नहीं खाता है कि साधारण डायरी में जो कुछ लेखबद्ध किया जाता है उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी धारा 154 की अपेक्षा का पूरा किया जाना/अनुपालन समझा जाना चाहिए । वास्तव में, प्रायिक प्रक्रिया संपूर्ण शिकायत को प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट की पुस्तक में लेखबद्ध करना है (या उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्ररूप के साथ उपाबद्ध करना है) किन्तु साधारण डायरी में लगभग एक या दो पैराग्राफ (इत्तिला का सारांश) ही लेखबद्ध करना है । (पैरा 48, 54, 55, 56 और 58)

यदि संहिता की धारा 154 और पुलिस अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों में इस तथ्य के बारे में कोई विसंगति है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में रजिस्ट्रीकृत की जानी है अथवा साधारण डायरी में रजिस्ट्रीकृत की जानी है, तो संहिता की धारा 154 के उपबंध अभिभावी होंगे और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के उपबंध (या अन्य संबंधित राज्यों में संबंधित तत्स्थानी पुलिस अधिनियम या नियमों के उपबंध) विरोध की सीमा तक शून्य होंगे । इस प्रकार, जैसा कि संहिता की धारा 154 के अधीन आदिष्ट है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में लेखबद्ध की जानी चाहिए और यह कहना सही नहीं है कि इत्तिला पहले साधारण डायरी में लेखबद्ध की जाएगी और प्रारंभिक जांच के पश्चात् ही, यदि अपेक्षित हो, इत्तिला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जाएगी । अतः, यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है और यह भी कि इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को विशिष्ट वार्षिक संख्यांक देकर लेखबद्ध किया जाना होता है जिससे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तथा सक्षम न्यायालय द्वारा, जिसे प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति भेजी जानी आवश्यक है, उसका यथार्थतः पता लगाया जा सके । (पैरा 61 और 63)

विधान-मंडल ने धारा 41(1)(क) और (छ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के मुकाबले, जहां किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रयोग की गई अभिव्यक्ति "युक्तियुक्त परिवाद" या "विश्वसनीय इत्तिला" है, संहिता की धारा 154(1) में सोचसमझकर "इत्तिला" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है । संहिता की धारा 154(1) के अधीन अभिव्यक्ति को आगे "युक्तियुक्त" या "विश्वसनीय" शब्द से विशेषित नहीं किया गया है । संहिता की धारा 41(1)(क) और (छ) की तरह धारा 154(1) में "इत्तिला" शब्द को अविशेषित करने का कारण यह है कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित किसी इत्तिला को इस आधार पर लेखबद्ध करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के संबंध में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में,

उक्त इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता किसी मामले को रजिस्ट्रीकृत करने की पूर्व-शर्त नहीं है । (पैरा 64)

संहिता की धारा 154 में प्रयुक्त भाषा के निबंधनानुसार पुलिस संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला (अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) प्राप्त किए बिना भी ऐसे अपराध का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने के लिए कर्तव्यबद्ध है यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्यथा ऐसा कोई अपराध किए जाने का संदेह होता है । अतः, विधायी आशय पूर्णतः स्पष्ट है, अर्थात्, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध के संबंध में विधि के अनुसार तत्परता से अन्वेषण किया जाए । यह विधिक स्थिति होने के कारण इस संबंध में कोई कारण नहीं है पुलिस के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने या न करने का कोई विवेकाधिकार या विकल्प होना चाहिए जब कि संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला दी जाती है । प्रत्येक संज्ञेय अपराध का तत्परता से अन्वेषण किया जाना चाहिए और संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में दी गई समस्त जानकारी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए जिससे कि अपराध के संबंध में कार्यवाही आरंभ की जा सके । संहिता की धारा 154 की अपेक्षा केवल यह है कि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का किया जाना अवश्य प्रकट होना चाहिए और अन्वेषक मशीनरी को गतिशील बनाने के लिए यही पर्याप्त है । धारा 154 की उपधारा (3) को संशोधन द्वारा अंतःस्थापित करने से विधान-मंडल का यह सुनिश्चित करने का आशय प्रकट होता है कि संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में किसी भी इत्तिला को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए या उस पर ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अभिकथित आरोपी/अपराधी को अन्यायोचित्यपूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा । अतः, संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् अपराध का अन्वेषण करना "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" है और इस प्रकार वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है । तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अभियुक्त के अधिकार को संरक्षण प्राप्त हो जाता है यदि सबसे पहले प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है और उसके बाद विधि के उपबंधों के अनुसार अन्वेषण किया जाता है । यह स्पष्ट है कि संहिता के अधीन जांच का संबंध न्यायिक कृत्य से है न कि पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले उन कदमों से है जो या तो संहिता की धारा 154 के प्रक्रम के पश्चात् अन्वेषण करना है जिसे प्रारंभिक जांच कहा जाता है और

जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पहले उठाए जाते हैं भले ही साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है । (पैरा 73, 74, 76 और 77)

सर्वप्रथम प्राप्त इत्तिला को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत करके प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ दोहरा है : एक यह कि दांडिक प्रक्रिया गतिशील हो जाती है और वह आरंभ से ही भली प्रकार प्रलेखित होती है और दूसरा यह कि कोई संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्राप्त सर्वप्रथम इत्तिला लेखबद्ध की जाती है जिससे कि बाद में कोई अतिरंजन न हो । लोकतंत्र और स्वाधीनता के सिद्धांत पुलिस शक्तियों पर नियमित और पर्याप्त नियंत्रण की मांग करते हैं । ऐसी शक्तियों वाले प्राधिकारियों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका उनके प्रत्येक कार्य को प्रलेखित करना है । तदनुसार, संहिता के अधीन पुलिस के कार्य इत्यादि को लिखने और प्रलेखित करने के उपबंध किए गए हैं । (पैरा 83 और 84)

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का आधार न केवल दांडिक न्याय परिदान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है बल्कि न्यायिक दूरदर्शिता सुनिश्चित करना भी है । धारा 157(1) में "तत्काल" शब्द का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार, धारा 154(1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त किसी इत्तिला की सम्यक् जानकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के रूप में की जानी होगी । इस प्रकार संज्ञेय अपराध किए जाने की जानकारी न केवल अन्वेषक अभिकरण को बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका को भी की जाती है । संहिता में दो किस्म की प्रथम इत्तिला रिपोर्टें अनुध्यात हैं । धारा 154(1) के अधीन सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता द्वारा पुलिस थाने के संबंधित अधिकारी को की जाती है । दूसरी किस्म की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वह हो सकती है जो पुलिस द्वारा स्वयं प्राप्त किसी इत्तिला द्वारा या किसी इत्तिलाकर्ता से भिन्न किसी माध्यम से रजिस्ट्रीकृत की जाती है [धारा 157(1)] और यह इत्तिला भी सम्यक् रूप से लेखबद्ध करनी होती है और इसकी प्रति तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का या तो संहिता की धारा 154(1) के अधीन इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर या अन्यथा संहिता की धारा 157(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना बाध्यकर है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने की बाध्यता में ये लाभ अंतर्निहित हैं : (क) यह किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच का

पहला कदम है । (ख) इससे "विधि का शासन" कायम होता है चूंकि एक साधारण व्यक्ति संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में जानकारी राज्य को प्रकट करता है । (ग) इससे द्रुत अन्वेषण और कभी-कभी अपराध का निवारण भी सुकर होता है । दोनों दशाओं में इससे विधि व्यवस्था कार्यान्वित होती है । (घ) इसके परिणामस्वरूप दांडिक मामलों में छलसाधन में कमी आती है और पूर्व-दिनांकित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या जानबूझकर विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की घटनाओं में कमी आती है । (पैरा 86, 87 और 88)

उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार गरीबों के हितों का संरक्षण करना स्पष्ट रूप से संहिता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है । कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला को रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक बनाना समाज के लिए, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सहायक होगा । (पैरा 92)

अपराध को दबाए जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालिक रूप से विधिसम्मत शासन का तनुकरण होता है और दीर्घकालिक रूप से इसका विधिसम्मत शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि लोग विधिसम्मत शासन का सम्मान करना बन्द कर देते हैं । इस प्रकार, इतनी बड़ी संख्या में प्रथम इत्तिला रिपोर्टों का रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के परिणामस्वरूप समाज में एक निश्चित अराजकता पैदा हो जाती है । अतः, धारा 154 का किसी अन्य रूप में पठन करना न केवल समिति की स्कीम के लिए अहितकर होगा बल्कि व्यापक रूप से समाज के लिए भी अहितकर होगा । इस प्रकार यह दृष्टव्य है कि इस न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चित मामलों में बारंबार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है यदि पुलिस को संहिता की धारा 154 के अधीन दी गई इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है । (पैरा 95 और 96)

प्रारंभिक जांच के समर्थन में दिया गया उद्दीपित करने वाला एक अन्य तर्क यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आज्ञापक रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप मनमानी गिरफ्तारी होगी जिससे प्रत्यक्षतः संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा । जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है, किन्तु अभियुक्त को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने पर तुरंत गिरफ्तार करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है । वास्तव में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना और

अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना विधि के अधीन दो पूर्णतः भिन्न-भिन्न संकल्पनाएं हैं और गिरफ्तारी के विरुद्ध अनेक रक्षोपाय उपलब्ध हैं । इसके अलावा, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अभियुक्त व्यक्ति के पास संहिता की धारा 438 के उपबंधों के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार भी है यदि उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं । इस प्रकार, समुचित मामलों में, वह न्यायालय के आदेश प्राप्त करके उस उपबंध के अधीन गिरफ्तारी से बच सकता है । संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना और धारा 41 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना, ये दोनों पूर्णतः भिन्न-भिन्न बातें हैं । यह कहना सही नहीं है कि केवल इस कारण कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई है इसलिए अभियुक्त व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है । यह काल्पनिक भय है कि मात्र इस कारण कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई है, इसलिए अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना अपेक्षित होगा और इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा की हानि होगी और इस न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार परेशानी से बचाने के लिए यह अभिनिर्धारित करना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक नहीं है । इसका उपचार उन रक्षोपायों को कड़ाई से प्रवर्तित कराने में निहित है जो पुलिस द्वारा की गई मनमानी गिरफ्तारियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं न कि पुलिस को तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आज्ञापक रजिस्ट्रीकरण से बचाने के लिए अनुज्ञात करने में निहित है जब इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है । (पैरा 97, 98 और 100)

संहिता में पुलिस को अन्वेषण से पूर्व या उसके पश्चात् दोनों दशाओं में मामले को बन्द करने की शक्ति दी गई है । कोई पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण से पूर्ण किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को पुरोबंध कर सकता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसका अन्वेषण करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है । इस धारा में ही यह कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण आरंभ कर सकता है जब उसके पास कोई अपराध किए जाने का संदेह करने का कारण हो । इसलिए, संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण करने की अपेक्षाएं संहिता की धारा 154 के अधीन अपेक्षाओं से अधिक हैं । पुलिस अधिकारी किसी विशेष मामले में मामले का अन्वेषण कर सकता है और उसके बाद मामले को बन्द करने की ईप्सा करते हुए संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल कर सकता है । इसलिए, पुलिस प्रत्येक ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में जो

संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने पर आज्ञापक रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाती है, अन्वेषण आरंभ करने के लिए दायी नहीं है । (पैरा 102)

यह सही है कि समाज के हित और किसी व्यष्टि की स्वाधीनता को संरक्षित करने के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखना होगा । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संहिता में पहले ही ऐसे पर्याप्त रक्षोपायों का उपबंध किया गया है जो मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराने की दशा में किसी व्यष्टि की स्वाधीनता को सम्यक् रूप से संरक्षा प्रदान करते हैं । इसके साथ-साथ, धारा 154 पीड़ित व्यक्ति और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रारूपित की गई थी । अतः, हमारा यह सशक्त मत है कि संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला का अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत किया जाना, जैसा विभिन्न काउन्सेलों द्वारा अर्थ लगाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में नहीं होगा । (पैरा 105)

अतः, रजिस्ट्रीकृत करने या रजिस्ट्रीकृत न करने के संबंध में विभिन्न परस्पर विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए केवल इतना आवश्यक है कि पुलिस को दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए । ऐसी स्थिति में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है । तथापि, यदि दी गई इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध साबित नहीं होता है तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को तुरंत रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं है और संभवतः पुलिस यह अभिनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है अथवा नहीं, किसी प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है । किन्तु यदि दी गई इत्तिला में स्पष्ट रूप से किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का उल्लेख होता है तो तत्काल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने के प्रक्रम पर अन्य विचारणाएं सुसंगत नहीं हैं, जैसे क्या इत्तिला मिथ्या रूप से दी गई है, क्या इत्तिला सही है, क्या इत्तिला विश्वसनीय है, इत्यादि । ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अन्वेषण के दौरान सत्यापित किया जाना है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के प्रक्रम पर केवल यह देखा जाना है कि क्या दी गई इत्तिला प्रत्यक्षतः संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करती है । यदि अन्वेषण के पश्चात् दी गई इत्तिला मिथ्या पाई जाती है तो परिवादी को मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट फाइल करने के लिए अभियोजित करने का सदैव विकल्प रहता है । (पैरा 110)

अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि – (i) संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है यदि इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय नहीं है । (ii) यदि इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है किन्तु उससे जांच की आवश्यकता उपदर्शित होती है तो प्रारंभिक जांच केवल यह अभिनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं । (iii) यदि जांच से कोई संज्ञेय अपराध किया गया प्रकट होता है तो प्रथम इत्तिला अवश्य रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए । ऐसे मामलों में, जहां प्रारंभिक जांच का अंत परिवाद को बन्द करने से होता है वहां ऐसे बन्द करने की प्रविष्टि की प्रति प्रथम इत्तिलाकर्ता को तत्काल किन्तु एक सप्ताह के अपश्चात् प्रदत्त की जानी चाहिए । इसमें परिवाद को बन्द करने और उस पर आगे कार्यवाही न करने के कारण संक्षेप में प्रकट किए जाने चाहिएं । (iv) पुलिस अधिकारी अपराध रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी अपने कर्तव्य से तब बच नहीं सकता है यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है । ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए जो तब भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं करते हैं यदि उनके द्वारा प्राप्त इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है । (v) प्रारंभिक जांच की परिधि, प्राप्त की गई इत्तिला की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है बल्कि केवल यह अभिनिश्चित करना है कि क्या इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है । (vi) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है । उन मामलों के प्रवर्ग, जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, ये हैं – (क) विवाह-विषयक विवाद/कौटुम्बिक विवाद (ख) वाणिज्यिक अपराध (ग) चिकित्सीय उपेक्षा वाले मामले (घ) भ्रष्टाचार के मामले (ङ) ऐसे मामले, जिनमें दांडिक अभियोजन आरंभ करने में असामान्य विलंब/अतिविलंब किया गया है, उदाहरणार्थ, मामले के संबंध में रिपोर्ट करने में हुए विलंब के लिए कारणों को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट किए बिना तीन मास से अधिक का विलंब होता है । उपर्युक्त मामले केवल दृष्टांतस्वरूप हैं और इससे वे स्थितियां निःशेष नहीं हो गई हैं जिनमें प्रारंभिक जांच आवश्यक हो सकती है । (vii) अभियुक्त और परिवादी के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी दशा में इसकी अवधि सात दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए । ऐसे विलंब संबंधी तथ्य और उनके कारण साधारण

डायरी प्रविष्टि में प्रतिबिंबित किए जाने चाहिएं । (viii) चूंकि साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी किसी पुलिस थाने में प्राप्त की जाने वाली समस्त इत्तिला का अभिलेख होता है इसलिए हम यह निदेश देते हैं कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित समस्त इत्तिला, चाहे उसके परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है या उसके परिणामस्वरूप कोई जांच की जानी है, उक्त डायरी में आज्ञापक रूप से और सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंबित होनी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का विनिश्चय भी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अवश्य ही प्रतिबिंबित होना चाहिए । (पैरा 111)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	(2012) 4 एस. सी. सी. 1 : **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	5
[2011]	(2011) 4 एस. सी. सी. 266 : **बी. प्रेमानंद और अन्य** बनाम **मोहन कोइकल और अन्य** ;	9,12,37
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 758 : **अशोक कुमार टोडी** बनाम **किश्वर जहां और अन्य** ;	13
[2011]	(2011) 3 एस. सी. सी. 496 : **मोना पनवर** बनाम **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ;	71
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 577 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सारंगधर सिंह शिवदास सिंह चव्हाण और एक अन्य** ;	25,71
[2010]	(2010) 7 एस. सी. सी. 667 : **प्रीति गुप्ता** बनाम **झारखंड राज्य** ;	27,70
[2010]	(2010) 3 एस. सी. सी. 571 : **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **कमेटी फार प्रोटेक्शन आफ डैमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिमी बंगाल** ;	12
[2008]	(2008) 14 एस. सी. सी. 337 : **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य** ;	4
[2008]	(2008) 7 एस. सी. सी. 164 : **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य** ;	3

[2007] (2007) 10 एस. सी. सी. 69 :
राजेन्द्र सिंह कटोच बनाम **चंडीगढ़ प्रशासन** ; 4,11,12

[2007] (2007) 6 एस. सी. सी. 171 :
एलेक पदमासी और अन्य बनाम **भारत संघ और अन्य** ; 10,11,12, 17,18,26

[2007] (2007) 1 एस. सी. सी. 630 :
शशिकांत बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** ; 4,11,13,71

[2007] (2007) 1 एस. सी. सी. 1 :
प्रकाश सिंह बादल बनाम **पंजाब राज्य** ; 4,16,17,18,66

[2006] (2006) 12 एस. सी. सी. 229 :
लल्लन चौधरी और अन्य बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ; 10,12,69

[2006] (2006) 2 एस. सी. सी. 677 :
रमेश कुमारी बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)** ; 4,10,11,12 16,17,18,67

[2005] (2005) 6 एस. सी. सी. 1 :
जैकब मैथ्यु बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य** ; 11,20,107

[2005] (2005) 5 एस. सी. सी. 294 :
रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 70

[2005] (2005) 1 एस. सी. सी. 496 :
जिला रजिस्ट्रार और कलक्टर, हैदराबाद बनाम **केनरा बैंक** ; 70

[2004] (2004) 6 एस. सी. सी. 626 :
ललित मोहन पांडे बनाम **पूरन सिंह** ; 20

[2003] (2003) 6 एस. सी. सी. 195 :
भारत संघ बनाम **प्रकाश पी. हिन्दूजा** ; 13

[2003] (2003) 6 एस. सी. सी. 175 :
पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम **तपन कुमार सिंह** ; 12,17,20, 62,71,90,109

[2002] (2002) 3 एस. सी. सी. 533 :
पदम सुन्दर राव (मृत) और अन्य बनाम
तमिलनाडु राज्य और अन्य ; 13

[2002] 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 2113 :
गिरधारी लाल कनक बनाम **राज्य और अन्य** ; 16

[2002] 2002 (2) क्राइम्स 143 :
कट्टेरी मोइद्दीन कुट्टी हाजी बनाम **केरल राज्य** ; 16

[2001] (2001) 9 एस. सी. सी. 581 :
मोहिन्द्रो बनाम **पंजाब राज्य** ; 16

[1999] (1999) 6 एस. सी. सी. 667 :
कामन काज़, एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी
बनाम **भारत संघ** ; 70

[1998] (1998) 1 एस. सी. सी. 226 :
विनीत नारायण बनाम **भारत संघ** ; 71

[1997] (1997) 8 एस. सी. सी. 476 :
मधु बाला बनाम **सुरेश कुमार** ; 53,91

[1997] (1997) 1 एस. सी. सी. 416 :
डी. के. बसु बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ; 70

[1996] (1996) 11 एस. सी. सी. 714 :
उमा शंकर सितानी बनाम **पुलिस आयुक्त,**
दिल्ली और अन्य ; 70

[1994] (1994) 4 एस. सी. सी. 260 :
जोगिन्दर कुमार बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ; 99

[1992] 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 1558 :
मुन्ना लाल बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ; 16

[1991] [1991] 2 उम. नि. प. 812 =
(1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 335 : 4,10,11,12,13
हरियाणा राज्य बनाम **भजन लाल** ; 16,17,18,38,53,65

[1990] (1990) 1 एस. सी. सी. 328 :
एस. एम. डी. किरन पाशा बनाम **आन्ध्र प्रदेश सरकार** ; 70

[1985] (1985) 1 एस. सी. सी. 552 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **राम सागर यादव और अन्य** ; 71

[1983] (1983) एल. डब्ल्यू. (क्रि.) 121 :
एलूमलाई बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 71

[1981] (1981) सप्ली. एस. सी. सी. 630 :
सेवी बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 4,11,17,19,71

[1981] (1981) 1 एस. सी. सी. 608 :
फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम **प्रशासक, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र** ; 70

[1980] [1980] 1 उम. नि. प. 321 =
(1979) 2 एस. सी. सी. 322 :
राम लाल नारंग बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)** ; 10,68

[1978] (1978) 4 एस. सी. सी. 371 :
गणेश भवन पटेल और एक अन्य बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; 10

[1978] (1978) 1 एस. सी. सी. 248 :
मेनका गांधी बनाम **भारत संघ** ; 19,70,104

[1977] (1977) 2 एस. सी. सी. 256 :
अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड और खान मुख्य-निरीक्षक और एक अन्य बनाम **रामजी** ; 20

[1975] (1975) 2 एस. सी. सी. 482 :
गोविन्दलाल छगनलाल पटेल बनाम **कृषि उपज विपणन समिति, गोधरा और अन्य** ; 9

[1974] (1974) 4 एस. सी. सी. 3 :
ई. पी. रायप्पा बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 70

[1973] (1973) 3 एस. सी. सी. 114 :
एप्रेन जोसेफ बनाम **केरल राज्य** ; 71

[1973] (1973) 1 एस. सी. सी. 216 :
मैसर्स हीरालाल रतनलाल और अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ; 9,12,37

[1972] (1972) 4 एस. सी. सी. 773 :
शेख हसीब उर्फ **तबारक** बनाम **बिहार राज्य** ; 13

[1972] (1972) 3 एस. सी. सी. 393 :
थुलिया काली बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; 89

[1971] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 186 :
ए. लक्ष्मणराव बनाम **न्यायिक मजिस्ट्रेट, पार्वतीपुरम** ; 71

[1970] (1970) 1 एस. सी. सी. 653 :
एस. एन. शर्मा बनाम **बिपन कुमार तिवारी** ; 13

[1970] (1970) 1 एस. सी. सी. 595 : 4,11,12,13,
पी. सिराजुद्दीन बनाम **मद्रास राज्य** ; 17,19,71,108

[1967] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1074 :
खूब चन्द बनाम **राजस्थान राज्य** ; 12,41

[1967] ए. आई. आर. 1967 कलकत्ता 478 :
मन्नालाल खटिक बनाम **राज्य** ; 13

[1964] [1964] 4 एस. सी. आर. 69 :
प्रतिव बोस बनाम **कुमार रुपेन्द्र देव रायकट** ; 20

[1964] [1964] 3 एस. सी. आर. 71 :
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **भगवन्त किशोर जोशी** ; 11,12, 13,17,19,71

[1955] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196 :
एच. एन. ऋषब्द और इंदर सिंह बनाम **दिल्ली राज्य** ; 13

[1949] ए. आई. आर. 1949 मद्रास 663 :
सुब्बारत्नम और अन्य के संदर्भ में ; 17

[1945] ए. आई. आर. 1945 प्रिवी कौंसिल 18 :
किंग एम्परर बनाम **ख्वाजा नाज़िर अहमद** । 71

आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2008 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 68, 2006 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5986, 2009 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 5200, 2011 की दांडिक अपील सं. 1410, 2007 की दांडिक अपील सं. 1267 तथा 2008 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 68 में 2008 की अवमान याचिका (सिविल) सं. डी. 26722.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिकाएं ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री मोहन पराशरन, महासालिसिटर, के. वी. विश्वनाथन, ए. एस. चंडियोक, सिद्धार्थ लूथरा, अपर महासालिसिटर, एस. बी. उपाध्याय, आर. के. दास, (सुश्री) विभा दत्त मखीजा, शेखर नफादे, ज्येष्ठ अधिवक्ता, (सुश्री) कृष्णा सरमा, वी. मधुकर, सुब्रमण्यम् प्रसाद, मंजीत सिंह, डा. मनीष सिंघवी, अपर महाधिवक्ता, (श्रीमती) मोना के. राजवंशी, बी. के. शाही, अनुराग कश्यप, बी. पी. गुप्ता, अश्विनी कुमार, जी. शिवाबालामुरुगन, अनीस मोहम्मद, दयानंदन पांडेय, एल. के. पांडेय, अभिजात पी. मेध, (सुश्री) शालू शर्मा, सुदर्शन सिंह रावत, देवाशीष मिश्रा, (सुश्री) सत्या सिद्दीकी, सरफराज ए. सिद्दीकी, एस. के. मिश्रा, डी. एस. मेहरा, डा. अशोक धमीजा, राजीव नन्दा, (सुश्री) सोनिया धमीजा, पी. के. डे, टी. ए. खान, बी. वी. बलराम दास, गौरव श्रीवास्तव, (श्रीमती) अर्चना सिंह, अभीष्ठ

कुमार, विक्रांत यादव, कमलेन्द्र मिश्रा, सी. डी. सिंह, अर्जुन दीवान, (सुश्री) सुप्रिया जुनेजा, गुरमोहन सिंह बेदी, (सुश्री) आनंदना हांडा, (सुश्री) चारुल सरीन, मिश्रा सौरभ, संजय खरडे, शंकर चिल्लार्ज, सचिन पाटिल, (सुश्री) शुभांगी तुली, (सुश्री) आशा जी. नायर, रवीन्द्र केशवराव अदसुरे, मैसर्स अरपुथम अरुणा एंड कंपनी, (सुश्री) शर्मिला उपाध्याय, देवाशीष मिश्रा, (सुश्री) एना तोली सेमा, (सुश्री) हेमन्तिका वाही, (सुश्री) पारुल कुमारी, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, सपम विश्वजीत मेतयी, ख्वैरकम नोबिन सिंह, (सुश्री) कामिनी जायसवाल, जितेन्द्र कुमार भाटिया, मुकेश वर्मा, नरेश के. शर्मा, पी. वी. दिनेश, (सुश्री) अनीता शिनाय, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, चन्दन कुमार, ऋतुराज बिस्वास, अनिल के. झा, रिकू सरमा, नवनीत कुमार, मैसर्स कारपोरेट ला ग्रुप की ओर से, (सुश्री) सुमिता हज़ारिका, सतीश विज, अरुणेश्वर गुप्ता, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, वी. जी. प्रागसम, एस. जे. एरिस्टोटल, प्रभु रामासुब्रमण्यम्, धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, अजय पाल, आर. नेदुमरन, रंजन मुखर्जी, (सुश्री) ए. सुभाषिणी, डा. मोनिका गोसाईं, एस. धनंजय, सुदर्शन सिंह रावत, रामेश्वर प्रसाद गोयल, दिनेश शर्मा, परितोष अनिल, (सुश्री) अन्विता कोशिश, कुलदीप सिंह, एम. योगेश काना, (सुश्री) वनिता चन्द्रकांत गिरी, ए. शांता कुमार, (सुश्री) शशिकला, के. एन. मधुसूदन, आर. सतीश, (श्रीमती) विवेक्ता

सिंह, तरजीत सिंह, विकास शर्मा, विनय कुहार, कमल मोहन गुप्ता, अमित लभाया और इरशाद अहमद

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति पी. सतशिवम् ने दिया ।

मु. न्या. सतशिवम् – इस निर्देशित मामले में जो महत्वपूर्ण विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत होता है वह यह है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे संक्षेप में "संहिता" कहा गया है) की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित कोई इत्तिला प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य है या पुलिस अधिकारी के पास उसे रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व ऐसी इत्तिला की सत्यता की परीक्षा करने की दृष्टि से प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है ?

2. संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन प्रस्तुत रिट याचिका ललिता कुमारी (अवयस्क) द्वारा अपने पिता, अर्थात् श्री भोला कामत के माध्यम से उसकी अवयस्क पुत्री के, जिसका अपहरण किया गया है, संरक्षण के लिए प्रस्तुत प्रत्यर्थियों के विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण की रिट या इसी प्रकृति के निदेश जारी करने के लिए फाइल की गई है । उक्त रिट याचिका में शिकायत यह है कि याची द्वारा तारीख 11 मई, 2008 को संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी । इसके पश्चात्, जब पुलिस अधीक्षक के समक्ष समावेदन किया गया था तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । याची के अनुसार, इसके पश्चात् भी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने या अवयस्क बालिका की बरामदगी के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे ।

3. इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य**[1] वाले मामले में संपूर्ण देश में भिन्न-भिन्न मामलों के आधार पर पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत करने में बरती जाने वाली विषमता की अवेक्षा करने के पश्चात् भारत संघ, समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों/पुलिस आयुक्तों को इस आशय की सूचना जारी की कि यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत करने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए और उनकी प्रतियां परिवादियों को सौंपी नहीं गईं तो वे संबंधित मजिस्ट्रेटों

---

[1] (2008) 7 एस. सी. सी. 164.

के समक्ष परिवाद याचिकाएं फाइल करके पुलिस को तुरंत मामला रजिस्ट्रीकृत करने और अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए समुचित निदेश देने के लिए समावेदन कर सकते हैं जिसके न हो सकने पर ऐसे अपचारी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है तो अवमान कार्यवाहियां अवश्य आरंभ की जानी चाहिए ।

4. उपरोक्त निदेशों के अनुसरण में जब मामले की उसी न्यायपीठ द्वारा **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य**[1] वाले मामले में सुनवाई की गई थी तब याची की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एस. बी. उपाध्याय ने अपने इस दावे को प्रक्षेपित किया कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली इत्तिला प्राप्त करने पर उसके लिए संहिता की धारा 154 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करना अपरिहार्य है और उसने **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[2], **रमेश कुमारी** बनाम **राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली)**[3] और **प्रकाश सिंह बादल** बनाम **पंजाब राज्य**[4] वाले मामलों में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चयों का अवलंब लिया । दूसरी ओर, महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री शेखर नफादे ने यह दलील दी कि किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी इत्तिला प्राप्त करने पर, जिससे कोई संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, विधि के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है बल्कि समुचित मामलों में उसे रिपोर्ट में किए गए दोषारोपणों की सत्यता या अन्यथा के संबंध में किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच कराने का विवेकाधिकार प्राप्त है । उसने अपनी दलील के समर्थन में **पी. सिराजुद्दीन** बनाम **मद्रास राज्य**[5], **सेवी** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[6], **शशिकांत** बनाम **केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**[7] और **राजेन्द्र सिंह कटोच** बनाम **चंडीगढ़ प्रशासन**[8] वाले मामलों में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के विनिश्चयों का

---

[1] (2008) 14 एस. सी. सी. 337.

[2] [1991] 2 उम. नि. प. 812 = (1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 335.

[3] (2006) 2 एस. सी. सी. 677.

[4] (2007) 1 एस. सी. सी. 1.

[5] (1970) 1 एस. सी. सी. 595.

[6] (1981) सप्ली. एस. सी. सी. 630.

[7] (2007) 1 एस. सी. सी. 630.

[8] (2007) 10 एस. सी. सी. 69.

अवलंब लिया । इस मुद्दे के संबंध में इस न्यायालय के परस्पर-विरोधी विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए उक्त न्यायपीठ ने तारीख 16 सितम्बर, 2008 के आदेश द्वारा इसे किसी बृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर दिया ।

5. उपरोक्त निदेश का अनुपालन करते हुए ललिता कुमारी से संबंधित मामले की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा **ललिता कुमारी** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में सुनवाई की गई थी जिसमें इस न्यायालय ने भारत संघ, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न काउन्सेलों को सुनने के पश्चात् और सभी परस्पर-विरोधी विनिश्चयों का विस्तारपूर्वक उल्लेख करने के पश्चात् निम्न प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए यह मामला किसी संविधान पीठ को निर्देशित कर दिया :–

> "97. हमने इस न्यायालय द्वारा पिछली अनेक दशाब्दियों में दिए गए विभिन्न निर्णयों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया है । हम मुख्य विवाद्यक पर इस न्यायालय की भिन्न-भिन्न न्यायिक राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं : क्या दंड प्रकिया संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस अधिकारी तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्य है जब कोई संज्ञेय अपराध बनता है या उसे (पुलिस अधिकारी को) प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व किसी किस्म की प्रारंभिक जांच कराने का विकल्प, विवेकाधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त है ।
>
> 98. भारत संघ और भिन्न-भिन्न राज्यों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउन्सेलों ने इस न्यायालय के समक्ष भी पूर्णतः भिन्न-भिन्न मत अभिव्यक्त किए हैं । इस न्यायालय ने भी संतोष कुमार और सुरेश गुप्ता वाले ऊपर उल्लिखित मामलों में चिकित्सा डाक्टरों के मामले में एक विशेष प्रवर्ग को रेखांकित किया है जिसमें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच कराने की परिकल्पना की गई थी । कुछ काउन्सेलों ने यह भी दलील दी है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मैनुअल में भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच परिकल्पित है ।

---

[1] (2012) 4 एस. सी. सी. 1.

99. इन मामलों में जो विवाद्यक विचारार्थ उद्भूत हुआ है वह अत्यंत लोक महत्व का है । इस न्यायालय द्वारा विनिश्चित अनेक मामलों में भिन्न-भिन्न राय को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित व्यक्तियों, न्यायालयों, अन्वेषक अभिकरणों और नागरिकों के फायदे के लिए इस न्यायालय की एक बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा विधि और अधिनिर्णय की स्पष्ट प्रतिपादना कराना अत्यंत आवश्यक हो गया है ।

100. परिणामस्वरूप, हम माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से इन मामलों को एक प्राधिकारपूर्ण निर्णय के लिए इस न्यायालय के कम से कम पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को निर्देशित करने का अनुरोध करते हैं ।"

6. अतः, इस संविधान पीठ के समक्ष एकमात्र प्रश्न संहिता की धारा 154 के निर्वचन और आनुषंगिक रूप से धारा 156 और धारा 157 पर भी विचार करने से संबंधित है ।

7. याची के विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एस. बी. उपाध्याय, भारत संघ की ओर से विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री के. वी. विश्वनाथन, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री सिद्धार्थ लूथरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल क्रमशः श्री शेखर नफादे, श्री आर. के. दास, सुश्री विभा दत्त मखीजा, अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री जी. शिवाबालामुरुगन, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान् काउन्सेल डा. अशोक धमीजा, पश्चिमी बंगाल राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री कल्याण बंदोपध्याय, राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता डा. मनीष सिंघवी और श्री सुदर्शन सिंह रावत को सुना गया ।

8. इस न्यायपीठ के समक्ष रखे गए मुख्य विवाद्यक का उत्तर देने के लिए संहिता की निम्नलिखित धाराओं के प्रति निर्देश करना लाभप्रद है :–

"**154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला** – (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस

अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी ।

156. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति – (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबंधों के अधीन है ।

(2) ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था ।

(3) धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है ।

157. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया – (1) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, इत्तिला प्राप्त होने पर या अन्यथा, यह संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन वह सशक्त है तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है और मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने और उसकी गिरफ्तारी के उपाय करने के लिए, उस स्थान पर या तो स्वयं जाएगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में से एक को भेजेगा जो ऐसी पंक्ति से निम्नतर पंक्ति का न होगा जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विहित करे :

परंतु –

(क) जब ऐसे अपराध के किए जाने की कोई इत्तिला किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसका नाम देकर की गई है और मामला गंभीर प्रकार का नहीं है तब यह आवश्यक न होगा कि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस स्थान पर अन्वेषण करने के लिए स्वयं जाए या अधीनस्थ अधिकारी को भेजे ;

(ख) यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा :

परंतु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के परंतुक के खंड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा और उक्त परंतुक के खंड (ख) में वर्णित दशा में ऐसा अधिकारी इत्तिला देने वाले को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए तत्काल इस बात की सूचना दे देगा कि वह उस मामले में अन्वेषण न तो करेगा और न कराएगा ।"

दलीलें

9. सर्वप्रथम, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री एस. बी. उपाध्याय ने धारा 154 में उल्लिखित शर्तों को स्पष्ट करते हुए यह दलील दी कि धारा

154(1) आज्ञापक है क्योंकि उसमें "शैल" शब्द का प्रयोग विधान-मंडल के कानूनी आशय का द्योतक है । उसने यह दलील भी दी कि पुलिस अधिकारी के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई विवेकाधिकार शेष नहीं बचा है । उसने उपरोक्त प्रतिपादना के समर्थन में निम्नलिखित विनिश्चयों का अवलंब लिया, अर्थात्, **बी. प्रेमानंद और अन्य** बनाम **मोहन कोइकल और अन्य**[1], **मैसर्स हीरालाल रतनलाल और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] और **गोविन्दलाल छगनलाल पटेल** बनाम **कृषि उपज विपणन समिति, गोधरा और अन्य**[3] वाले मामले ।

10. श्री उपाध्याय ने, इसके अलावा हमारा ध्यान संहिता की धारा 154(1) में प्रयुक्त भाषा की ओर आकृष्ट करते हुए यह दलील दी कि इसमें मात्र "इत्तिला" का उल्लेख किया गया है और उसके आगे "युक्तियुक्त" या "विश्वसनीय" शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । उसने इस दावे को सिद्ध करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनिश्चयों का अवलंब लिया, अर्थात्, **भजन लाल** (उपर्युक्त), **गणेश भवन पटेल और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[4], **एलेक पदमासी और अन्य** बनाम **भारत संघ और अन्य**[5], **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त), **राम लाल नारंग** बनाम **राज्य (दिल्ली प्रशासन)**[6] और **लल्लन चौधरी और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[7] वाले मामले । इसके अतिरिक्त, उसने पुलिस अधिकारियों को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच करने के लिए अनुज्ञात करने संबंधी विभिन्न प्रतिकूल प्रभावों की ओर भी प्रकाश डाला ।

11. भारत संघ की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री के. वी. विश्वनाथन ने यह दलील दी कि ऐसे सभी मामलों में जिनमें संहिता की धारा 154 के अधीन इत्तिला प्राप्त होती है, पुलिस के लिए तुरंत उन्हें उक्त प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्ट करना आज्ञापक है यदि उनका संबंध कोई संज्ञेय अपराध कारित किए जाने से होता है । विद्वान् अपर महासालिसिटर के अनुसार, पुलिस

---

[1] (2011) 4 एस. सी. सी. 266.
[2] (1973) 1 एस. सी. सी. 216.
[3] (1975) 2 एस. सी. सी. 482.
[4] (1978) 4 एस. सी. सी. 371.
[5] (2007) 6 एस. सी. सी. 171.
[6] [1980] 1 उम. नि. प. 321 = (1979) 2 एस. सी. सी. 322.
[7] (2006) 12 एस. सी. सी. 229.

प्राधिकारियों के पास उसे रजिस्ट्रीकृत करने का विनिश्चय करने से पूर्व ऐसी इत्तिला की सत्यता अभिनिश्चित करने का किसी भी प्रकार का विवेकाधिकार या प्राधिकार नहीं है । उसने यह भी इंगित किया कि उस पुलिस अधिकारी को, जो संहिता की धारा 156 और धारा 157 के अधीन स्थल पर जाता है, या तो गुप्त जानकारी या स्रोत पर आधारित जानकारी या किसी अफवाह इत्यादि के आधार पर तुरंत संज्ञेय अपराध कारित किए जाने से संबंधित जानकारी इकट्ठी होने पर पुलिस थाने को रिपोर्ट (रुक्का) भेजनी होती है जिससे कि उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया जा सके । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने, गिरफ्तारी करने, अभियुक्तों को प्रदान की गई विभिन्न संरक्षाओं और अन्वेषण बन्द करने के संबंध में पुलिस की शक्ति से संबंधित संहिता की स्कीम को भी उजागर किया । उसने अपने दावे के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों, अर्थात्, **भजन लाल** (उपर्युक्त), **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त) और **एलेक पदमासी** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चयों का अवलंब लिया । उसने ऐसे प्रभेद्य निर्णयों पर भी विचार-विमर्श किया जो आज्ञापक प्रतिपादना के विरोध में हैं, अर्थात् **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **भगवन्त किशोर जोशी**[1], **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **सेवी** (उपर्युक्त), **शशिकांत** (उपर्युक्त), **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त), **जेकब मैथ्यु** बनाम **पंजाब राज्य और एक अन्य**[2] वाले निर्णय । उसने यह कहकर अपनी दलीलें समाप्त कीं कि यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली कोई ऐसी इत्तिला दी जाती है जिससे संहिता की धारा 154(1) की अपेक्षाएं पूरी होती हैं तो उक्त अधिकारी के पास उसके सार को विहित प्ररूप में प्रविष्ट करने, अर्थात्, ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है । इसके अलावा, उसने मिथ्या मामला फाइल करने के विरुद्ध संहिता के अधीन उपबंधित विभिन्न सुरक्षोपायों पर जोर दिया ।

12. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से विद्वान् काउन्सेल डा. अशोक धमीजा ने यह दलील दी कि संहिता की धारा 154(1) के अधीन "शैल" शब्द के प्रयोग से स्पष्टतः यह आदिष्ट है कि यदि पुलिस अधिकारी को दी गई इत्तिला संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में है तो उसके लिए अपराध रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक होता है । विद्वान् काउन्सेल के अनुसार, इन

---

[1] [1964] 3 एस. सी. आर. 71.

[2] (2005) 6 एस. सी. सी. 1.

परिस्थितियों में पुलिस को कोई विकल्प या विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । उसने आगे यह दलील दी कि "शैल" शब्द से स्पष्ट रूप से एक आज्ञा विवक्षित होती है और वह सुस्पष्टतः कानूनी आशय का द्योतक है । उसके अनुसार, जो कुछ आवश्यक है, वह केवल यह है कि पुलिस को दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए । उसने यह दलील भी दी कि संहिता की धारा 154 में मात्र "इत्तिला" शब्द का प्रयोग किया गया है और उसमें "विश्वसनीय इत्तिला" या "युक्तियुक्त शिकायत" जैसे विशेषक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है । इस प्रकार प्रयुक्त भाषा से संसद् का यह आशय असंदिग्ध रूप से स्पष्ट होता है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला मात्र ही प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पर्याप्त है । उसने **भजन लाल** (उपर्युक्त), **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त), **एलेक पदमासी** (उपर्युक्त), **लल्लन चौधरी** (उपर्युक्त), **पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** बनाम **तपन कुमार सिंह**[1], **मैसर्स हीरालाल रतनलाल** (उपर्युक्त), **बी. प्रेमानंद** (उपर्युक्त), **खूब चन्द** बनाम **राजस्थान राज्य**[2], **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त), **भगवन्त किशोर जोशी** (उपर्युक्त), **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **कमेटी फार प्रोटेक्शन आफ डैमोक्रेटिक राइट्स, पश्चिमी बंगाल**[3] वाले मामलों का भी अवलंब लिया । उसने मिथ्या मामला फाइल करने के विरुद्ध संहिता में उपबंधित विभिन्न सुरक्षोपायों को भी इंगित किया । अंत में, उसने इस बात पर जोर देते हुए अपनी दलील समाप्त की कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना संहिता की धारा 154 के अधीन तब आज्ञापक है यदि इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय नहीं है । इसके अलावा, उसने यह भी स्पष्ट किया कि कतिपय स्थितियों के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपराध मैनुअल के अधीन यथा-उपबंधित प्रारंभिक जांच दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 में अंतर्विष्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित विशेष उपबंधों के कारण भिन्न आधार पर आधारित है जो कि संहिता की धारा 4(2) और 5 के अधीन व्यावृत्त है ।

13. पश्चिमी बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री कल्याण बंदोपध्याय ने यह दलील दी कि जब कभी

---

[1] (2003) 6 एस. सी. सी. 175.

[2] ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1074.

[3] (2010) 3 एस. सी. सी. 571.

संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित कोई इत्तिला प्राप्त होती है तब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह उसे लेखबद्ध करे और ऐसी इत्तिला की एक प्रति संहिता की धारा 154(2) के अधीन इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी । उसके अनुसार, पुलिस अधिकारी के पास संज्ञेय अपराध के संबंध में इत्तिला को प्रथमतः लेखबद्ध करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता है । उसने ऐसे विभिन्न पश्चात्वर्ती कदमों पर भी प्रकाश डाला जिनका अनुसरण पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत करने के अनुसरण में किया जाना होता है । संहिता की धारा 154 की परिधि के संबंध में उसने **एच. एन. ऋषब्द और इंदर सिंह** बनाम **दिल्ली राज्य**[1], **भजन लाल** (उपर्युक्त), **एस. एन. शर्मा** बनाम **बिपन कुमार तिवारी**[2], **भारत संघ** बनाम **प्रकाश पी. हिन्दूजा**[3], **शेख हसीब** उर्फ **तबारक** बनाम **बिहार राज्य**[4], **शशिकांत** (उपर्युक्त), **अशोक कुमार टोडी** बनाम **किश्वर जहां और अन्य**[5], **पदम सुन्दर राव (मृत) और अन्य** बनाम **तमिलनाडु राज्य और अन्य**[6], **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त), **भगवन्त किशोर जोशी** (उपर्युक्त) और **मन्नालाल खटिक** बनाम **राज्य**[7] वाले मामलों का अवलंब लिया ।

14. राजस्थान राज्य की ओर से विद्वान् अपर महाधिवक्ता डा. मनीष सिंघवी ने यह दलील दी कि संहिता की धारा 154(1) में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत करना आदिष्ट है । उसने मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल करने के संबंध में संहिता में अंतर्निहित विभिन्न सुरक्षोपायों को भी उजागर किया । उसने यह भी इंगित किया कि एकमात्र अपवाद का संबंध उन मामलों से है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन उद्भूत होते हैं क्योंकि उन मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान करने से पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है और लोक सेवकों को कुछ प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है जिससे कि उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए तंग करने वाले मामले फाइल न किए जा सकें ।

---

[1] ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 196.
[2] (1970) 1 एस. सी. सी. 653.
[3] (2003) 6 एस. सी. सी. 195.
[4] (1972) 4 एस. सी. सी. 773.
[5] (2011) 3 एस. सी. सी. 758.
[6] (2002) 3 एस. सी. सी. 533.
[7] ए. आई. आर. 1967 कलकत्ता 478.

15. 2011 की दांडिक अपील सं. 1410 में अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री जी. शिवाबालमुरुगन ने पूर्ववर्ती इतिहास, अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता, 1861, दंड प्रक्रिया संहिता, 1872, दंड प्रक्रिया संहिता, 1882 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के सुसंगत उपबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करने के पश्चात् इस बात पर जोर दिया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण क्यों आज्ञापक है । उसने विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट की सिफारिशों और तारीख 3 फरवरी, 2013 से दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतःस्थापन पर भी प्रकाश डाला ।

16. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री आर. के. दास ने यद्यपि आरंभ में यह प्राख्यान करते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि बेईमान परिवादियों की प्रेरणा से निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से उत्पीड़ित करने से रोकने के लिए यह वांछनीय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के साथ ही अभिकथनों की प्रारंभिक जांच भी की जानी चाहिए किन्तु बाद में संहिता के विशिष्ट लक्षणों, विभिन्न उपबंधों, जैसे धारा 2(4)(ज), धारा 156(1), धारा 202(1) और धारा 164, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमों में के विभिन्न उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह दलील दी कि संज्ञेय अपराध से संबंधित इत्तिला के मामले में उसकी सत्यता का या अन्यथा सत्यापन होने तक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का लेखबद्ध किया जाना किसी भी दशा में आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए । इसके अलावा, उसने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी अवलंब लिया, जैसे **मोहिन्द्रो** बनाम **पंजाब राज्य**[1], **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त), **मुन्ना लाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[2], **गिरधारी लाल कनक** बनाम **राज्य और अन्य**[3] और **कट्टेरी मोइद्दीन कुट्टी हाजी** बनाम **केरल राज्य**[4] वाले निर्णय । अंततः, उसने यह निष्कर्ष निकाला कि जब संहिता के अध्याय 12 में यथा-परिकल्पित कानूनी उपबंध स्पष्ट और असंदिग्ध हैं तब पुलिस को संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करने के लिए अनुज्ञात करना विधिक दृष्टि से अनुज्ञेय नहीं होगा ।

---

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 581.

[2] 1992 क्रिमिनल ला जर्नल 1558.

[3] 2002 क्रिमिनल ला जर्नल 2113.

[4] 2002 (2) क्राइम्स 143.

17. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलीलों का आरंभ संविधान पीठ के समक्ष निर्देश की परिधि पर जोर देते हुए किया । इसके पश्चात्, उसने विभिन्न निर्णयों पर विस्तारपूर्वक विचार किया जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्वेषक अधिकारी को संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तिला प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच कराने की शक्ति है, अर्थात्, **भगवन्त किशोर जोशी** (उपर्युक्त), **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **सेवी** (उपर्युक्त) और **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त) । इसके साथ-साथ उसने हमारा ध्यान निम्नलिखित विनिश्चयों की ओर भी दिलाया, अर्थात्, **भजन लाल** (उपर्युक्त), **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त), **प्रकाश सिंह बादल** (उपर्युक्त) और **एलेक पदमासी** (उपर्युक्त), जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट करने वाली इत्तिला की प्राप्ति पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और धारा 154 की आज्ञा के अधीन प्रारंभिक जांच की शक्ति विद्यमान नहीं है । विद्वान् अपर महासालिसिटर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 का तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया । उसने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि प्रत्येक गतिविधि, जो किसी पुलिस थाने में होती है [धारा 2(थ)], पुलिस थाने में रखी गई डायरी में प्रविष्ट की जाती है जिसे साधारण डायरी, थाना डायरी या दैनिक डायरी कहा जा सकता है । उसने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों, जैसे **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त), **सुब्बारत्नम और अन्य के संदर्भ में**[1], के प्रति निर्देश करते हुए साधारण डायरी की सुसंगति को रेखांकित किया । उसने आगे यह इंगित किया कि वर्तमान में संपूर्ण देश में विवाह-विषयक् वाणिज्यिक, चिकित्सीय उपेक्षा और भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों में संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए बिना या उससे पूर्व पुलिस द्वारा जांच या प्रारंभिक जांच करने के लिए उपबंध विद्यमान हैं । इसने हमारा ध्यान उन विभिन्न पुलिस नियमों की ओर भी दिलाया जो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोलकाता, मुम्बई इत्यादि में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व जांच कराने के संबंध में अभिभावी हैं । इसके अलावा, उसने इस बात पर जोर देने के लिए मामला रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय है और विधि की दृष्टि से

---

[1] ए. आई. आर. 1949 मद्रास 663.

विधिसम्मत है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्राइम मैनुअल से निष्कर्ष निकालने का प्रयास भी किया । उक्त दलीलों का उल्लेख करते हुए उसने यह अभिवाक् करके अपनी बात समाप्त की कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय ठहराई जानी चाहिए । इसके अलावा, उसने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस द्वारा जांच या प्रारंभिक जांच कराने की शक्ति से, जिसके बाद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है, प्रक्रिया का दुरुपयोग समाप्त हो जाएगा क्योंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किया जाना किसी व्यक्ति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों जैसे नौकरी या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के संबंध में एक अड़चन पैदा करता है । विद्वान् अपर महासालिसिटर ने इस न्यायालय से कतिपय ऐसे प्रवर्ग के मामलों के लिए जिनमें प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए, दिशानिर्देश विरचित करने का अनुरोध किया ।

18. महाराष्ट्र राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री शेखर नफादे ने यह दलील दी कि साधारणतया थाना भारसाधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध के संघटक प्रकट करने वाली शिकायत प्राप्त करने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध करनी चाहिए किन्तु कतिपय स्थितियों में इत्तिला की शुद्धता या विश्वसनीयता के बारे में संदेह होने की दशा में उसके पास प्रारंभिक जांच करने का विवेकाधिकार होना चाहिए और इसके पश्चात् यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करनी चाहिए । उसके ऊपर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने का आज्ञापक कर्तव्य थोपा नहीं जाना चाहिए । उसके अनुसार, इस निर्वचन से दो दूरतम स्थितियों में सामंजस्य बैठ जाएगा, अर्थात्, यह प्रतिपादना कि जिस क्षण संज्ञेय अपराध के संघटक प्रकट करने वाली शिकायत दाखिल की जाती है, पुलिस अधिकारी को किसी प्रकार की संवीक्षा किए बिना प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करनी चाहिए, एक दूरतम प्रतिपादना है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की आज्ञा के प्रतिकूल है, इसी प्रकार, अन्य दूरतम दृष्टिकोण यह है कि पुलिस अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व मामले का सारवान् रूप से अन्वेषण करना चाहिए । तद्नुसार, उसने यह इंगित किया कि दोनों प्रतिपादनाओं को नामंजूर किया जाना चाहिए और एक बीच का मार्ग चुना जाना चाहिए । उसने निम्नलिखित निर्णय भी प्रस्तुत किए, अर्थात्, **भजन लाल** (उपर्युक्त), **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त), **प्रकाश सिंह**

बादल (उपर्युक्त) और **एलेक पदमासी** (उपर्युक्त), जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि संज्ञेय अपराध किए जाने का अभिकथन करने वाली शिकायत पुलिस थाने में प्राप्त होती है तो थाना भारसाधक अधिकारी के पास संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं होता है । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल के अनुसार, इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इनमें धारा 154 का निर्वचन संहिता के अन्य उपबंधों से असंबद्ध होकर किया गया है और संहिता की धारा 154 पर अनुच्छेद 21 के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है ।

19. इसके साथ-साथ, उसने निम्नलिखित विनिश्चयों का उल्लेख किया, अर्थात्, **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त), **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **भगवन्त किशोर जोशी** (उपर्युक्त) और **सेवी** (उपर्युक्त) जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व पुलिस अधिकारी यह अभिनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक जांच करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या संज्ञेय अपराध किए जाने का प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है अथवा नहीं । विद्वान ज्येष्ठ काउन्सेल के अनुसार संहिता की धारा 154 अन्वेषण से संबंधित कानूनी उपबंधों की श्रृंखला गठित करती है और इसलिए धारा 41, धारा 157, धारा 167 और धारा 169 इत्यादि के उपबंधों की स्कीम का संबंध धारा 154 के निर्वचन से अवश्य होना चाहिए । इसके अलावा, उसने इस बात पर जोर दिया कि इसका उदार निर्वचन करने से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किया जाना एक यांत्रिक कार्य हो जाएगा । इसके साथ-साथ उसने **मेनका गांधी** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले के प्रति निर्देश करके संहिता की धारा 154 पर अनुच्छेद 21 के प्रभाव को रेखांकित किया जिसमें इस न्यायालय ने दांडिक विधि से संबंधित अनेक उपबंधों को अनुच्छेद 21 लागू किया है । इस न्यायालय ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट "विधि" अभिव्यक्ति आवश्यक रूप से ऐसी विधि अनुध्यात करती है जो युक्तियुक्त है न कि मात्र ऐसे कानूनी उपबंध चाहे वे युक्तियुक्त हैं अथवा नहीं । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने यह अभिवाक् किया कि संहिता की धारा 154 के उपबंधों का अनुच्छेद 21 के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए जिसका यह अभिप्राय है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व पुलिस अधिकारी को यह समाधान कर लेना चाहिए कि

---

[1] (1978) 1 एस. सी. सी. 248.

अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है । उसने इस बात पर भी जोर दिया कि धारा 154 में पुलिस अधिकारी की तब प्रारंभिक जांच करने संबंधी विवक्षित शक्ति अंतर्विष्ट है जब उसे दी गई इत्तिला की विश्वसनीयता के बारे में उसे गंभीर संदेह हो । श्री नफादे ने दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013, विशेषकर धारा 166-क का उल्लेख करते हुए यह दलील दी कि जहां तक अन्य संज्ञेय अपराधों का संबंध है (धारा 166-क में उल्लिखित अपराधों के अलावा), पुलिस को तब प्रारंभिक जांच करने का विवेकाधिकार प्राप्त है यदि इत्तिला की शुद्धता के बारे में कुछ संदेह होता है ।

20. डाक्टरों की ओर से चिकित्सीय उपेक्षा बरते जाने से संबंधित अभिकथनों के मामले में हमारा ध्यान इस न्यायालय के कुछ विनिश्चयों के प्रति दिलाते हुए, अर्थात्, **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त), **जैकब मैथ्यु** (उपर्युक्त) इत्यादि, यह इंगित किया गया है कि किसी भी चिकित्सा वृत्तिक को केवल शिकायत में किए गए अभिकथनों के आधार पर अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए । श्री नफादे ने विभिन्न विनिश्चयों का उल्लेख करके इस बात पर जोर दिया कि समुचित मामलों में पुलिस अधिकारियों के लिए संज्ञेय अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर यह उचित होगा कि वह अपना यह समाधान करे कि कम से कम शिकायत में अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन विश्वसनीय हैं । उसने यह भी दलील दी कि कानून के किसी भी उपबंध का पठन और निर्वचन अलग से नहीं किया जा सकता है बल्कि कानून का पठन समग्र रूप से किया जाना चाहिए । तद्नुसार, उसने यह प्रार्थना की कि संहिता की धारा 41, धारा 57, धारा 156, धारा 157, धारा 159, धारा 167, धारा 190, धारा 200 और धारा 202 के उपबंध एक साथ पढ़े जाने चाहिएं । उसने यह भी इंगित किया कि संहिता की धारा 154(3) ऐसे किसी शिकायतकर्ता को जिसकी शिकायत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है, अपनी शिकायत को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत कराने के प्रयोजनार्थ उच्चतर पुलिस अधिकारी के समक्ष समावेदन करने में समर्थ बनाती है और ऐसी दशा में उच्चतर पुलिस अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध करने और मामले का अन्वेषण करने का निदेश देने की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं । व्यथित व्यक्ति को उच्चतर पुलिस अधिकारी के समक्ष समावेदन करने के लिए उपलब्ध उपचार के अलावा वह उसकी धारा 190 के अधीन परिवाद करके संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष समावेदन भी कर सकता है । उसने

इसके आगे इस बात पर जोर दिया कि यह तथ्य कि विधान-मंडल ने संज्ञेय अपराधों में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करने और अन्वेषण करने के विरुद्ध पर्याप्त उपचारों का उपबंध किया है, इस विधायी आशय का सूचक है कि पुलिस अधिकारी मात्र इस कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध करने के लिए बाध्य नहीं है कि शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध के संघटक प्रकट होते हैं, यदि उसे शिकायत की सत्यता के बारे में संदेह है । उसने यह भी इंगित किया है कि कानून में प्रयुक्त "शैल" शब्द से सदैव मामले में विवेकाधिकार का अभाव अभिप्रेत नहीं होता है । उसने उक्त प्रतिपादना के लिए यह प्रदर्शित किया कि इस न्यायालय ने शाब्दिक निर्वचन के मुकाबले सप्रयोजन निर्वचन को अधिमानता दी है जिसके लिए उसने **अध्यक्ष, खनन परीक्षा बोर्ड और खान मुख्य-निरीक्षक और एक अन्य** बनाम **रामजी**[1], **ललित मोहन पांडे** बनाम **पूरन सिंह**[2], **प्रतिव बोस** बनाम **कुमार रुपेन्द्र देव रायकट**[3] वाले निर्णयों का अवलंब लिया । इसके आगे उसने यह इंगित किया कि संहिता की धारा 154 के उपबंधों को अनम्य सूत्र में रखना असंभव है । उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने या न करने के संबंध में कुछ दिशानिर्देश विरचित करने की प्रार्थना की । अंततः, उसने यह उल्लेख किया कि अनुच्छेद 21 की अपेक्षा यह है कि प्रक्रिया ऋजु और न्यायसंगत होनी चाहिए । उसके अनुसार, यदि पुलिस अधिकारी को मामले में संदेह है तो यह अपरिहार्य है कि उसके पास मामले में प्रारंभिक जांच करने का विवेकाधिकार होना चाहिए । यदि उसे ऐसी प्रारंभिक जांच करने से विवर्जित किया जाता है तब प्रक्रिया मनमानेपन और अयुक्तियुक्तता की बुराई से ग्रस्त होगी । इस प्रकार, उसने यह अभिवाक् करके अपनी दलीलों को समाप्त किया कि संहिता की धारा 154 का निर्वचन अनुच्छेद 21 के प्रकाश में किया जाना चाहिए ।

21. मध्य प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल सुश्री विभा दत्त मखीजा ने यह दलील दी कि संहिता की धारा 154 और अन्य उपबंधों के पठन मात्र से यह दर्शित होता है कि हो सकता है कि पुलिस अधिकारी की ओर से संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई कदम उठाने या अन्वेषण करने से पूर्व प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना

---

[1] (1977) 2 एस. सी. सी. 256.

[2] (2004) 6 एस. सी. सी. 626.

[3] [1964] 4 एस. सी. आर. 69.

आज्ञापक न हो किन्तु यह पूर्णतः बाध्यकर है । उसने आगे यह इंगित किया कि किसी अपराध के संबंध में प्रथम इत्तिला प्राप्त होने के पश्चात् और विभिन्न राज्य सरकारों के विनियमों के अधीन पुलिस थाने में रखी गई प्रथम इत्तिला पुस्तिका में उक्त रिपोर्ट (चाहे वह मौखिक हो या लिखित) रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व, संहिता के कानूनी ढांचे के अधीन उस विस्तार तक जितना न्यायौचित्यपूर्ण है और यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है अथवा नहीं, यथार्थ रूप से अनुदत्त कानूनी विवेकाधिकार के क्षेत्र के भीतर है, केवल कुछ प्रारंभिक जांच या अन्वेषणात्मक कदम अनुज्ञेय हैं । अतः, ऐसे किसी अन्वेषण को, जिसकी परिणति संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट में होती है, तब तक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है और इस कारण अभिखंडित नहीं किया जा सकता है कि जांच, अन्वेषण या अन्वेषण के दौरान उठाए गए कदमों के कुछ भाग प्रथम इत्तिला प्राप्त होने के पश्चात् किन्तु उसे रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व उठाए जाते हैं जब तक यह नहीं पाया जाता है कि उक्त अन्वेषण अऋजु, अवैध, असद्भाविक है और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त के ऋजु अन्वेषण संबंधी अधिकार पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । उसने उपर्युक्त दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों के प्रति निर्देश से संहिता के पूर्ववर्ती उपबंधों और वर्तमान कानूनी ढांचे, अर्थात् दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 को रेखांकित किया । उसने यह कहकर अपनी दलील समाप्त की कि संहिता की धारा 154 में इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि जहां संज्ञेय अपराध प्रकट होता है वहां पुलिस की ओर से उक्त इत्तिला को लेखबद्ध करने या लेखबद्ध न करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है हालांकि वह प्रत्येक मामले में भिन्न-भिन्न हो सकती है ।

22. इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष उठाए गए विवाद्यक दो मुख्य परस्पर-विरोधी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से उद्भूत होते हैं, अर्थात् :–

(i) क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के तुरंत रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा छलसाधन की गुंजाइश रहती है जिससे पीड़ित/शिकायतकर्ता के शिकायत में किए गए अभिकथनों का तुरंत अन्वेषण करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ii) क्या ऐसे मामलों में जहां शिकायत/इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होता है किन्तु प्रथम इत्तिला अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत कर ली जाती है तब क्या इससे किसी

अभियुक्त के अधिकारों का अतिलंघन होता है ।

विचार-विमर्श

23. हमारे देश की दंड विधि प्रक्रिया में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट एक प्रासंगिक दस्तावेज़ है और इत्तिला करने वाले के दृष्टिकोण से इसका मुख्य उद्देश्य दंड विधि को गतिशील बनाना है और अन्वेषक प्राधिकारियों के दृष्टिकोण से अभिकथित दांडिक गतिविधि के बारे में जानकारी अभिप्राप्त करना है ताकि वह दोषी को ढूंढने और उससे पूछताछ करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में समर्थ हो सके ।

24. इतिहासपरक अनुभव के आधार पर दोनों पक्षों की ओर से मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें विधिमान्य प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के पीड़ित/इत्तिलाकर्ता व्यक्ति तथा अभियुक्तों को अनावश्यक रूप से तंग किए जाने और मिथ्या आरोपों की जांच किए जाने की शिकायतें सही पाई गई हैं ।

25. प्रथम प्रवर्ग के मामलों का एक उदाहरण **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **सारंगधर सिंह शिवदास सिंह चव्हाण और एक अन्य**[1] वाले मामले में पाया जाता है जिसमें बुलधाना जिले के कलक्टर के उस आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका फाइल की गई थी जिसके द्वारा श्री गोकुलचन्द सनन्दा के विरुद्ध जिला धनशोधन-रोधी समिति और जिला सरकारी प्लीडर से अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना कोई अपराध रजिस्ट्रीकृत न करने का निदेश दिया गया था । अभिलेख से यह प्रकट हुआ था कि 74 मामलों में से केवल सात मामलों में अवैध धनशोधन का अभिकथन करते हुए आरोप-पत्र फाइल किए गए थे । इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला कलक्टर को दिए गए अनुदेशों के आधार पर गरीब किसानों की कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई थी । इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने उक्त अनुदेशों को अधिकारातीत अभिनिर्धारित किया और उन्हें अभिखंडित कर दिया । यह दलील दी गई है कि उपरोक्त जैसे मामले धारा 154 के आज्ञापक स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं और यदि इससे अन्यथा अभिनिर्धारित किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय होगा ।

26. **एलेक पदमासी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस विवाद्यक पर

---

[1] (2011) 1 एस. सी. सी. 577.

विचार करते हुए कि क्या ऐसी रिट जारी करना न्यायालयों की शक्तियों के भीतर है जिसमें पुलिस को ऐसे मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश दिया गया हो जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि अभियुक्त ने ऐसे भाषण दिए हैं जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द के बिगड़ने की संभावना है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब कभी पुलिस पदाधिकारियों की जानकारी में यह दर्शित करने वाले तथ्य लाए जाते हैं कि कोई संज्ञेय अपराध साबित होता है तो उन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करनी चाहिए । यदि पुलिस पदाधिकारी ऐसा करने में असफल होते हैं तो संहिता की धारा 200 के साथ पठित धारा 190 में उपवर्णित पद्धतियां अंगीकार की जानी चाहिएं । इस प्रकार, संहिता में ही संहिता की धारा 154 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों की ओर से इनकारी के संबंध में अनेक नियंत्रणों का उपबंध किया गया है ।

27. तथापि, दूसरी ओर, अनेक ऐसे मामले हैं जिनसे यह प्रदर्शित होता है कि ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने और उसके संबंध में अन्वेषण प्रारंभ करने संबंधी पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग किया गया है जहां शिकायत की अंतर्वस्तुओं से कोई संज्ञेय अपराध साबित नहीं होता है । इस संदर्भ में महत्वपूर्ण मामला **प्रीति गुप्ता** बनाम **झारखंड राज्य**[1] वाला मामला है जिसमें इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क का दुरुपयोग किए जाने पर अपनी चिन्ता अभिव्यक्त की थी जिसके संबंध में अनेक तुच्छ रिपोर्टें दाखिल की गईं थीं । इस न्यायालय ने अपनी यह वांछा व्यक्त की कि विधान-मंडल को विधि में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए सुविज्ञ लोक राय और व्यावहारिक वास्तविकताओं को अवश्य ही विचार में लेना चाहिए ।

28. उपर्युक्त निर्णय के परिणामस्वरूप भारत के विधि आयोग ने तारीख 30 अगस्त, 2012 को अपनी 243वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की । विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि धारा 498-क के अधीन अपराध को शमनीय बनाया जा सकता था तथापि, आनुभाविक आंकड़ों द्वारा इसके विस्तार का दुरुपयोग होना साबित नहीं किया गया था और इस प्रकार, यह इस उपबंध की प्रभावकारिता को निरावृत्त करने का आधार नहीं हो सकता था । विधि आयोग ने यह भी मत व्यक्त किया कि इस प्रश्न के संबंध में कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया

---

[1] (2010) 7 एस. सी. सी. 667.

जाना युक्तियुक्त समय के लिए मुल्तवी किया जा सकता था, विधि अनिश्चितता की अवस्था में है और वह इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत संविवाद का निपटारा करके ही स्पष्ट की जा सकती है ।

29. इस मुद्दे पर भिन्न-भिन्न राय को ध्यान में रखते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की दृष्टि से और उपर्युक्त दलीलों का उत्तर देने के लिए इस धारा और उन तत्स्थानी उपबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का परिशीलन करना प्रासंगिक है जो दंड प्रक्रिया संहिता की पूर्ववर्ती अधिनियमितियों में विद्यमान थे ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1861

> *"139. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई प्रत्येक शिकायत या इत्तिला लेखबद्ध की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली डायरी में ऐसी रीति में प्रविष्ट किया जाएगा जोकि स्थानीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।"

दंड प्रक्रिया संहिता, 1872

> *"112. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को की गई प्रत्येक शिकायत या इत्तिला लेखबद्ध की जाएगी और वह करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्राबंद या चिह्नित की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसी रीति में प्रविष्ट किया जाएगा जोकि स्थानीय सरकार विहित करे ।"

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> "139. Every complaint or information preferred to an officer incharge of a police station, shall be reduced into writing and the substance thereof shall be entered in a diary to be kept by such officer, in such form as shall be prescribed by the local government."

> "112. Every complaint preferred to an officer incharge of a police station, shall be reduced into writing and shall be signed, sealed or marked by the person making it; and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in the form prescribed by the local government."

दंड प्रक्रिया संहिता, 1882

*"154. संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।"

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898

"154. संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा ।"

---

*"154. Every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer incharge of a police station, shall be reduced to writing by him, or under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept in such form as the government may prescribed in this behalf."

"154. Every information relating to the commission of a cognizable offence if given orally to an officer incharge of a police station, shall be reduced to writing by him, or under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the government may prescribed in this behalf."

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

"154. संज्ञेय मामलों में इत्तिला – (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप में लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा :

[परन्तु यदि किसी ऐसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326-क, धारा 326-ख, धारा 354, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग, धारा 354-घ, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी :–

परन्तु यह और कि -

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354-क, धारा 354-ख, धारा 354-ग, धारा 354-घ, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी ;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी ;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5-क) के खंड

(क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा ।]

[दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 13 द्वारा तारीख 3 फरवरी, 2013 से अंतःस्थापित]

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित इत्तिला की प्रतिलिपि, इत्तिला देने वाले को तत्काल निःशुल्क दी जाएगी ।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगीं ।'

उपर्युक्त उपबंधों के परिशीलन से पुरानी संहिता और नई संहिता दोनों में संज्ञेय अपराध की दशा में कोई प्रारंभिक जांच कराए बिना अनिवार्य रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के संबंध में विधायी आशय स्पष्ट होता है ।

30. 1973 की वर्तमान संहिता से पूर्वगामी संहिता, 1898 की संहिता है जिसमें पुलिस की अन्वेषण करने की शक्तियों और प्रक्रिया में सारवान् परिवर्तन किए गए थे । पुलिस की शक्तियों के आरंभिक बिन्दु को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्ति को बदलकर संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला को, चाहे वह मौखिक या लिखित में दी गई हो, लेखबद्ध करना और प्रान्तीय सरकार द्वारा ऐसी प्रथम इत्तिला को लेखबद्ध करने के लिए पृथक् रूप से विहित पुस्तक में प्रविष्ट करना बना दिया गया ।

31. इस प्रकार, 1898 की संहिता द्वारा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था, वह धारा 154, अर्थात्, संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम इत्तिला को विशेष पुस्तक में लेखबद्ध करने की अपेक्षा अधिरोपित

करने वाले उपबंध को धारा 156, अर्थात्, संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने के संबंध में पुलिस अधिकारी को सशक्त करने वाले उपबंध के पूर्व स्थापित करने की बाबत था । इस प्रकार, उपबंधों के ऐसे स्थापन का उद्देश्य स्पष्ट था, जो कि यह सुनिश्चित करना था कि प्रथम इत्तिला का लेखबद्ध किया जाना पुलिस द्वारा किए जाने वाले किसी अन्वेषण का आरंभिक बिन्दु होना चाहिए । अन्वेषण की समीचीनता के हित में चूंकि अन्वेषण आरंभ करने के लिए मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने का सुरक्षोपाय नहीं था इसलिए प्रथम इत्तिला का उनकी पुस्तकों में इत्तिला करने वाले के हस्ताक्षर/मुद्रा सहित लेखबद्ध किया जाना पुलिस द्वारा अन्वेषणात्मक शक्तियों का अत्यधिक, असद्भाविक और अवैध प्रयोग करने के विरुद्ध अत्यंत मूल्यवान सुरक्षोपाय के रूप में कार्य करेगा ।

32. संहिता की धारा 12 में अंतर्विष्ट उपबंध पुलिस को इत्तिला देने और उनकी अन्वेषण करने की शक्ति के संबंध में है । उक्त अध्याय में वह प्रक्रिया उपवर्णित है जो अन्वेषण के दौरान अपनाई जानी है । उक्त अध्याय में विहित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य दांडिक विधि को गतिशील बनाना और सभी प्रक्रिया संबंधी सुरक्षोपायों के लिए उपबंध करना है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अन्वेषण ऋजु है और असद्भाविक नहीं है और अन्वेषण के दौरान एकत्रित साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

33. इसके अलावा, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री शेखर नफादे ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता में धारा 166-क के अंतःस्थापन से यह उपदर्शित होता है कि उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अपराधों से भिन्न सभी अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना अनिवार्य नहीं है । दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 166-क अंतःस्थापित की गई थी, जो कि निम्नलिखित रूप में है :–

> "धारा 166-क – जो कोई लोक सेवक होते हुए, –
>
> (क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा; या
>
> (ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश को,

किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करेगा; या

(ग) धारा 326-क, धारा 326-ख, धारा 354, धारा 354-ख, धारा 370, धारा 370-क, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।'

धारा 166-क में यह अधिकथित किया गया है कि यदि कोई पुलिस सेवक (पुलिस अधिकारी) धारा 326-क, धारा 326-ख, धारा 354, धारा 354-ख, धारा 370, धारा 370-क, धारा 376, धारा 376-क, धारा 376-ख, धारा 376-ग, धारा 376-घ, धारा 376-ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराधों के संबंध में संहिता की धारा 154(1) के अधीन उसे दी गई कोई इत्तिला लेखबद्ध करने में असफल रहता है तो उसे उस अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो छह मास से कम नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा । इस प्रकार, विद्वान् काउन्सेल का पक्षकथन यह है कि इस उपबंध से स्पष्ट रूप से यह उपदर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना अनिवार्य है और पुलिस अधिकारी के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है । अतः, उसके अनुसार, विधान-मंडल ने यह स्वीकार किया है कि जहां तक अन्य संज्ञेय अपराधों का संबंध है, पुलिस के पास प्रारंभिक जांच करने का तब विवेकाधिकार है यदि इत्तिला की शुद्धता के बारे में कोई संदेह होता है ।

34. यद्यपि यह तर्क इतना प्रत्ययकारी है जितना यह प्रतीत होता है तथापि, हमें संदेह है कि क्या उक्त उपबंध में प्रयुक्त असंदिग्ध शब्दों का उल्लंघन करते हुए ऐसी उपधारणा की जा सकती है । अतः, दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 166-क के अंतःस्थापन को उपबंध के अनुकूल न कि उसके प्रतिकूल पढ़ा जाना

चाहिए । धारा 166-क का अंतःस्थापन हाल ही में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण हुआ था । यह संशोधन करने में विधान-मंडल का आशय महिलाओं के सुरक्षोपायों में वृद्धि करने का उपबंध करने के लिए इससे पूर्व विद्यमान उपबंधों को कड़ा बनाना है । अतः, विधान-मंडल ने हमारे देश में महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को इन मामलों में प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत करने में असफल रहने पर अभिव्यक्ततः दंडित करना उचित समझा । इसके अंतःस्थापन को इससे भिन्न कोई अन्य अर्थ समनुदेशित नहीं किया जा सकता है ।

35. इस पृष्ठभूमि में अब हम निर्देशित विवाद्यक के पक्ष और विरोध, दोनों के संबंध में विभिन्न विनिश्चयों के प्रकाश में इन निवेदनों पर विचार करेंगे ।

धारा 154 का निर्वचन :

36. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निर्वचन की प्रत्येक पद्धति में किसी कानून के निर्वचन का सर्वप्रथम और प्रमुख सिद्धांत निर्वचन का शाब्दिक नियम है । प्रारंभ में हमें यह देखना है कि उपबंध में क्या कहा गया है । परिणामस्वरूप, धारा 154 में प्रयुक्त भाषा विधायी आशय का निश्चायक कारक है । संहिता की धारा 154(1) के पठन मात्र से यह उपबंधित है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा या उसके निदेशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी । संहिता की धारा 154(1) की भाषा में कोई संदिग्धता नहीं है ।

37. इस प्रक्रम पर, **मैसर्स हीरालाल रतनलाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों के प्रति निर्देश करना उचित है जोकि निम्न प्रकार हैं :–

> "किसी कानूनी उपबंध का अर्थान्वयन करते समय अर्थान्वयन का सर्वप्रथम और प्रमुख नियम शाब्दिक अर्थान्वयन है । प्रारंभ में ही हमें यह देखना होता है कि उस उपबंध में क्या कहा गया है ? यदि उपबंध असंदिग्ध है और यदि उस उपबंध से विधायी आशय स्पष्ट होता है तो हमें कानूनों के अर्थान्वयन के अन्य नियमों की सहायता लेने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए । कानूनों के अर्थान्वयन के अन्य नियमों की सहायता लेने की तब अपेक्षा होती है जब विधायी

आशय स्पष्ट न हो .... ।"

उपरोक्त विनिश्चय का अनुसरण इस न्यायालय द्वारा **बी. प्रेमानंद** (उपर्युक्त) वाले मामले में किया गया था और **हीरालाल रतनलाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों के प्रति निर्देश करने के पश्चात् इस न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "9. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि निर्वचन की प्रत्येक पद्धति में किसी कानून के निर्वचन का सर्वप्रथम और प्रमुख सिद्धांत निर्वचन का शाब्दिक नियम होता है । निर्वचन के अन्य नियमों, अर्थात्, रिष्टि नियम, सप्रयोजन निर्वचन, इत्यादि का अवलंब तभी लिया जा सकता है जब किसी कानून के साधारण शब्द अस्पष्ट हैं या जिनसे कोई बोधगम्य परिणाम नहीं निकलते हैं या जिनका शाब्दिक रूप से पठन करने पर कानून का उद्देश्य ही अकृत हो जाएगा । जहां किसी कानून के शब्द पूर्णतः स्पष्ट और असंदिग्ध हैं वहां शाब्दिक नियम से भिन्न निर्वचन के सिद्धांतों का अवलंब नहीं लिया जा सकता है, देखिए स्वीडिश मैच ए. बी. **बनाम** सेबी, (2004) 11 एस. सी. सी. 641."

अतः, धारा 154(1) की भाषा का शाब्दिक अर्थान्वयन के अलावा कोई अन्य अर्थान्वयन करने की गुंजाइश नहीं है ।

38. धारा 154 का विधायी आशय **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में विशद रूप से सविस्तार प्रतिपादित किया गया है जोकि निम्नलिखित रूप में है :–

> "31. संहिता की धारा 154(1) में अधिष्ठापित विधिक आज्ञा यह है कि संज्ञेय अपराध किए जाने से संबद्ध प्रत्येक इत्तिला [संहिता की धारा 2(ग) के अंतर्गत यथापरिभाषित] यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है (जिस पर वह लेखबद्ध की जानी होती है) या लिखित रूप में दी गई है [संहिता की धारा 2(ण) के अर्थ में] और इत्तिलाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक पुस्तक में दर्ज की जानी चाहिए जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्ररूप में रखी जाए, जैसा राज्य सरकार विहित करे । वह प्ररूप सामान्यतया प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहलाता है और उक्त प्ररूप में इत्तिला दर्ज करने का कृत्य अपराध या मामले का रजिस्ट्रीकरण कहलाता है ।

32. संहिता की धारा 154(1) की आज्ञा के अनुपालन में संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली इत्तिला के आधार पर अपराध या मामले के रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी यह जांच आरंभ नहीं कर सकता कि क्या इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला विश्वसनीय और वास्तविक है या नहीं और इस आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि इत्तिला विश्वसनीय नहीं है । इसके विपरीत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कानूनी रूप से मामला दर्ज करने के लिए और अन्वेषण आरंभ करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है यदि उसके पास अपराध किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह संहिता की धारा 156 के अधीन सशक्त है जोकि धारा 157 के परन्तुक के अधीन रहते हुए है । (चूंकि हम इस निर्णय के आगामी भाग में संहिता की धारा 156 और 157 की परिधि के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के क्षेत्र में पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में विस्तृत विवेचन करना चाहते हैं इसलिए हम वर्तमान संदर्भ में इन धाराओं पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं करना चाहते) यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी निहित अधिकारिता का प्रयोग करने और रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर मामला दर्ज करने से इनकार करता है और ऐसा करके अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उससे व्यथित व्यक्ति लिखित रूप में और डाक द्वारा उस इत्तिला का सार संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है । यदि पुलिस अधीक्षक का समाधान हो जाता है कि उसके पास भेजी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तो उसे या तो स्वयं मामले में अन्वेषण करना चाहिए या संहिता की धारा 145 की उपधारा (3) द्वारा उपबंधित रीति से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निदेश देना चाहिए ।

33. ध्यान रहे कि संहिता की धारा 154(1) में विधान-मंडल ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से ध्यानपूर्वक और सावधानी से "इत्तिला" शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण के किया है । जैसे संहिता की धारा 41(1)(क) या (छ) में कहा गया है जिसमें "उचित परिवाद" और "विश्वसनीय इत्तिला" पदों का प्रयोग किया गया है । प्रकट है कि संहिता की धारा 41(1)(क) और (छ) से भिन्न धारा 154(1) में "इत्तिला" शब्द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग न करने का कारण

यह हो सकता है कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने से संबंधित इत्तिला लेखबद्ध करने और उस पर मामला दर्ज करने से इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि उस इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के बारे में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में, उक्त इत्तिला की "युक्तियुक्तता" या "विश्वसनीयता" मामला दर्ज करने की पुरोभाव्य शर्त नहीं है । वर्तमान धारा 154 की पुरानी संहिता की धारा से तुलना करने पर पता चलता है कि विधान-मंडल से सप्रयोजन "इत्तिला" शब्द का प्रयोग विशेषण के बिना करना ठीक समझा । भारत की विधान परिषद् द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 (1861 का अधिनियम सं. 25) की धारा 139 में लिखा था कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से किया गया "प्रत्येक परिवाद" या "इत्तिला" लेखबद्ध की जानी चाहिए । बाद में 1872 की संहिता (1872 का अधिनियम सं. 10) की धारा 112 द्वारा उक्त उपबंध में उपांतरण किया गया जो इस प्रकार थी कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से किया गया "प्रत्येक परिवाद" लेखबद्ध किया जाएगा । "परिवाद" शब्द जो 1861 और 1872 की दो पुरानी संहिताओं में आया था, विलुप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1882 और 1898 की संहिताओं में "इत्तिला" शब्द का प्रयोग किया गया जो अब 1973 की वर्तमान संहिता (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 154, 155, 157 और 190(ग) में प्रयुक्त किया गया है । समस्त संहिताओं के संपूर्ण पाठ से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्टों को लेखबद्ध करने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वह यह है कि इत्तिला हो और वह इत्तिला संज्ञेय अपराध प्रकट करती हो ।

34. अतः, यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि यदि संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली कोई इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष रखी जाती है जो संहिता की धारा 154(1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास विहित प्ररूप में उसका सार दर्ज करने, अर्थात्, ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला दर्ज करने के सिवाय कोई चारा नहीं है ।"

39. परिणामस्वरूप, जो शर्त संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लेखबद्ध करने के लिए अनिवार्य है वह यह है कि इत्तिला होनी चाहिए और यह कि उस इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होना

चाहिए । यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष धारा 154(1) की अपेक्षा की पूर्ति करते हुए संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली कोई इत्तिला दी जाती है तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास उसके सार को विहित प्ररूप में प्रविष्ट करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता है, अर्थात्, ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला दर्ज करना । संहिता की धारा 154 के उपबंध आज्ञापक हैं और संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली इत्तिला के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए कर्तव्यबद्ध होता है । इस प्रकार, संहिता की धारा 154(1) के स्पष्ट शब्दों का शाब्दिक अर्थान्वयन किया जाना चाहिए ।

'शैल'

40. संहिता की धारा 154(1) में "शैल"' शब्द का प्रयोग करने से यह विधायी आशय स्पष्टतः दर्शित होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है यदि पुलिस को दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है ।

41. **खूब चन्द** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

> "7. ..... "शैल" पद अपने साधारण महत्व की दृष्टि से आज्ञापक है और न्यायालय उस पद का साधारणतया तब तक यही निर्वचन करेगा जब तक कि ऐसे निर्वचन के परिणामस्वरूप कुछ बेतुके या असुविधाजनक परिणाम न निकलते हों या वह अधिनियम के अन्य भागों से एकत्र विधायी आशय से असंगत न हो । उक्त अभिव्यक्ति का अर्थान्वयन विशिष्ट अधिनियम के उपबंधों, उस विन्यास, जिसमें अभिव्यक्ति प्रकट होती है, उस उद्देश्य, जिसके लिए निदेश दिया जाता है, उन परिणामों, जो निदेश के अतिलंघन से निकलेंगे और ऐसी अन्य विचारणाओं, पर निर्भर करता है ...।"

42. यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संहिता की धारा 154(1) के संदर्भ में "शैल" शब्द का प्रयोग करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस द्वारा सभी संज्ञेय अपराधों से संबंधित समस्त इत्तिला तुरंत रजिस्ट्रीकृत की जाए और विधि के उपबंधों के अनुसार उनका अन्वेषण किया जाए ।

43. अपराधों का अन्वेषण और अपराधियों का अभियोजन राज्य के कर्तव्य हैं । "संज्ञेय अपराधों" के लिए पुलिस पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

रजिस्ट्रीकृत करने और संहिता की धारा 157 के अधीन विनिर्दिष्ट रूप से अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय अन्वेषण करने का कर्तव्य डाला गया है । यदि पुलिस को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के मामले में कोई विवेकाधिकार, विकल्प या ढील अनुज्ञात की जाती है तो इससे लोक व्यवस्था की स्थिति में गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इससे पीड़ितों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है जिसमें उनके समानता के मूल अधिकार का अतिक्रमण भी है ।

44. अतः, वह संदर्भ जिसमें संहिता की धारा 154(1) में ''शैल'' शब्द प्रकट होता है, वह उद्देश्य जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है और वे परिणाम जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के निदेश का अतिलंघन करने से निकलेंगे, इन सभी कारकों से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि धारा 154(1) में प्रयुक्त ''शैल'' शब्द को उसका साधारण अर्थ दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उसका स्वरूप आज्ञापक है । संहिता की धारा 154(1) के उपबंधों का कानूनी स्कीम के प्रकाश में पठन करने पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच आरंभ करने के लिए कोई विवेकाधिकार प्रदान करने की गुंजाइश नहीं है । विधि की यह स्थापित स्थिति है कि यदि उपबंध असंदिग्ध है और विधायी आशय स्पष्ट है तो न्यायालय को अर्थान्वयन के किसी अन्य नियम को लागू करने की आवश्यकता नहीं है ।

45. उपरोक्त कारणों से ''शैल'' शब्द का प्रयोग करने तथा अधिनियम की स्कीम से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधायिका का आशय यह था कि यदि कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला दी जाती है तो वह पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा आज्ञापक रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी । ''शैल'' शब्द का पठन ''में'' शब्द के रूप में करना, जैसा कि कुछ काउन्सेलों द्वारा दलील दी गई है, संहिता की स्कीम के विरुद्ध होगा । संहिता की धारा 154 का अर्थान्वयन यथार्थतः किया जाना चाहिए और ''शैल'' शब्द को उसका स्वाभाविक अर्थ प्रदान किया जाना चाहिए । निर्वचन के स्वर्णिम नियम को केवल ऐसे मामलों में लागू किया जा सकता है जहां धारा की भाषा संदिग्ध हो और/या जिसके परिणामस्वरूप विसंगति उत्पन्न हो ।

46. उपरोक्त कारणों से हमारा यह समाधान हो गया है कि संहिता की धारा 154(1) में इस संबंध में कोई संदिग्धता नहीं है और वह स्पष्ट निबंधनों में है । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि संहिता की धारा 39

प्रत्येक व्यक्ति पर कतिपय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला देने का कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करती है जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 126, 302, 64-क, 382, 392 इत्यादि के अंतर्गत आने वाले अपराध शामिल हैं । यह सुझाव देना असंगत होगा कि यद्यपि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह कोई अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला दे किन्तु पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए यह बाध्यकर नहीं है कि वह रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करे । संहिता की धारा 39 में आने वाले "शैल" शब्द को वही अर्थ दिया जाना है जोकि संहिता की धारा 154(1) में आने वाले "शैल" शब्द को दिया जाता है ।

पुस्तक/डायरी

47. छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर महासालिसिटर ने यह दलील दी है कि धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी में, जोकि पुलिस थाने में रखी जाती है, प्रविष्टि के पश्चात् पुस्तक में लेखबद्ध की जानी होती है । अतः, विद्वान् अपर महासालिसिटर के अनुसार, प्रथम इत्तिला साधारण डायरी में सबसे पहला दस्तावेज़ होता है और इसके पश्चात् यदि प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होती है तो पुलिस अधिकारी जांच कर सकता है और इसके पश्चात् इत्तिला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

48. यह निर्वचन पूर्णतः निराधार है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, वास्तव में वह इत्तिला है जो सबसे पहले प्राप्त होती है जोकि या तो लिखित में दी जाती है या लेखबद्ध की जाती है । राज्य सरकार द्वारा विहित डायरी में इसके केवल "सार" की प्रविष्टि नहीं की जाती है । "साधारण डायरी" (जो कि कुछ राज्यों में "थाना डायरी" या "दैनिक डायरी" के रूप में जानी जाती है) संहिता की धारा 154 के अधीन नहीं रखी जाती है बल्कि वह यथास्थिति, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के अधीन उन राज्यों में जिन्हें यह लागू होती है या किसी राज्य को लागू पुलिस अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अधीन या किसी राज्य के पुलिस मैनुअल के अधीन रखी जाती है । पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 नीचे उद्धृत की जाती है :–

> "44. **पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे** – प्रत्येक पुलिस थाने के भारसाधक प्रत्येक पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार समय-समय पर विहित करे, एक साधारण डायरी रखे और किए गए सब परिवादों और आरोपों को, गिरफ्तार

किए गए सब व्यक्तियों के नामों को, परिवादियों के नामों को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों को, उन आयुधों या संपत्ति को, जो उनके कब्जे से अन्यथा ली गई हो और उन साक्षियों के नामों को, जिनकी परीक्षा की गई है, उसमें अभिलिखित करे । जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी को मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा ।"

49. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 1861 के दौरान जब उपर्युक्त पुलिस अधिनियम, 1861 पारित किया गया था, दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 भी पारित की गई थी । उस संहिता की धारा 139 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के संबंध में थी और इस धारा में भी "डायरी" शब्द के प्रति निर्देश किया गया है, जैसा कि इस धारा की भाषा से स्पष्ट होता है, जैसी कि वह नीचे उद्धृत की जाती है :–

"139. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष किया गया प्रत्येक परिवाद या दी गई इत्तिला लेखबद्ध की जाएगी और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी गई डायरी में ऐसे प्ररूप में प्रविष्ट किया जाएगा, जोकि स्थानीय सरकार विहित करे ।"

इस प्रकार, पुलिस अधिनियम, 1861 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 में, जोकि दोनों एक ही वर्ष में पारित किए गए थे, एक ही शब्द "डायरी" का प्रयोग किया गया है ।

50. तथापि, वर्ष 1872 में एक नई संहिता पारित की गई थी जोकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1872 के नाम से जानी जाती थी । उस संहिता की धारा 112 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के मुद्दे के संबंध में थी और वह नीचे उद्धृत की जाती है :–

"112. पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष किया गया प्रत्येक परिवाद लेखबद्ध किया जाएगा और वह करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या चिह्नित होगा और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी गई **पुस्तक** में ऐसे प्ररूप में प्रविष्ट किया जाएगा, जोकि स्थानीय सरकार विहित करे ।"

51. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1872 में एक विचलन किया गया था और "डायरी" के स्थान पर "पुस्तक" शब्द का प्रयोग किया गया था । "पुस्तक" शब्द स्पष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्टों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संहिता के अधीन रखी जाने वाली प्रथम इत्तिला

पुस्तक के रूप में निर्देश करता था ।

52. यह प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि क्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में या साधारण डायरी में लेखबद्ध की जानी है । यह विवाद्यक इस न्यायालय द्वारा इससे पूर्व प्राधिकारपूर्वक विनिश्चित किया जा चुका है ।

53. **मधु बाला** बनाम **सुरेश कुमार**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट उस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर में अवश्य ही रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए जोकि एक पुस्तक होगी जिसमें 200 पृष्ठ होंगे । यह सही है कि इत्तिला के सार का उल्लेख दैनिक डायरी (या साधारण डायरी) में भी करना होता है । किन्तु मूलभूत अपेक्षा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक या रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करना है । **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में भी इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को एक पुस्तक में ऐसी रीति में प्रविष्ट करना होगा जिसे सामान्य रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कहा जाता है ।

54. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकरण एक पुस्तक में जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक या प्रथम इत्तिला रजिस्टर कहा जाता है, करना होता है । निस्संदेह, इसके अलावा, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के सारांश या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के सार का उल्लेख इसके साथ-साथ सुसंगत राज्य उपबंधों के अधीन यथास्थिति, संबंधित पुलिस अधिनियम या नियमों में आदिष्ट साधारण डायरी में भी किया जा सकता है ।

55. साधारण डायरी किसी पुलिस थाने में होने वाले सभी महत्वपूर्ण संव्यवहारों/घटनाओं का अभिलेख है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों का आना-जाना, कार्यभार का सौंपना या ग्रहण करना, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, विधि और व्यवस्था संबंधी कर्तव्यों के ब्यौरे, वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे, इत्यादि भी हैं । इसी संदर्भ में ही पुलिस थाने में रजिस्ट्रीकृत की जा रही प्रत्येक प्रथम इत्तिला के सारांश या सार का उल्लेख भी साधारण डायरी में होता है चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना पुलिस थाने की बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है । चूंकि साधारण डायरी एक ऐसा अभिलेख है जो कालानुक्रम में दैनिक आधार पर रखा जाता है (प्रत्येक दिन

---

[1] (1997) 8 एस. सी. सी. 476.

नए संख्यांक 1 से आरंभ होकर), इसलिए साधारण डायरी प्रविष्टि निर्देश का भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में साथ-साथ उल्लेख किया जाता है चूंकि ये दोनों एक साथ तैयार की जाती हैं ।

56. यह इंगित करना सुसंगत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक वार्षिक आधार पर दिए गए उसके संख्यांक सहित रखी जाती है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को दिया जाने वाला एक विशिष्ट वार्षिक संख्यांक होता है । यह उसी तरीके से होता है जैसे न्यायालयों में मामला संख्यांक दिए जाते हैं । इसी कारण, जहां कहीं भी आवश्यक हो, पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों द्वारा और न्यायालयों द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्टों के रजिस्ट्रीकरण पर कड़ा नियंत्रण और नजर रखना संभव होता है । प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है ।

57. दूसरी ओर, साधारण डायरी में प्रत्येक दिवस की कार्यवाहियों के असंख्य अन्य ब्यौरे होते हैं । साधारण डायरी की प्रति पुलिस थाने पर अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी जाती है हालांकि इसकी एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास भेजी जाती है । इस प्रकार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और/या न्यायालयों द्वारा साधारण डायरी में उल्लिखित अन्य ब्यौरों की बृहद मात्रा और प्रत्येक दिन बदलते संख्यांकों के कारण उसमें लेखबद्ध प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर कड़ा नियंत्रण रखना संभव नहीं होता है ।

58. जैसे ही पुलिस थाने में शिकायत दी जाती है, शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर प्रथम इत्तिला पुस्तक में अभिप्राप्त किए जाते हैं । दूसरी ओर, साधारण डायरी में शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है । इसके अलावा, कभी-कभी की गई शिकायत में पृष्ठों की संख्या काफी हो सकती है, इस दशा में साधारण डायरी में शिकायत का सारांश न कि पूरी शिकायत लेखबद्ध की जाती है । यह इस सुझाव से मेल नहीं खाता है कि साधारण डायरी में जो कुछ लेखबद्ध किया जाता है उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी धारा 154 की अपेक्षा का पूरा किया जाना/अनुपालन समझा जाना चाहिए । वास्तव में, प्रायिक प्रक्रिया संपूर्ण शिकायत को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की पुस्तक में लेखबद्ध करना है (या उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्ररूप के साथ उपाबद्ध करना है) किन्तु साधारण डायरी में लगभग एक या दो पैराग्राफ (इत्तिला का सारांश) ही लेखबद्ध करना है ।

59. उपर्युक्त कारणों से, यह इंगित करना लाभप्रद है कि संहिता संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 2 के अधीन अधिनियमित की गई थी, जोकि नीचे उद्धृत की जाती है :–

> "2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं ।"

दूसरी ओर, पुलिस अधिनियम, 1861 (या संबंधित राज्यों में अन्य समरूप अधिनियम) संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 2 के अधीन अधिनियमित किए गए थे, जोकि नीचे उद्धृत की जाती है :–

> "2. सूची 1 की प्रविष्टि 2-क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अंतर्गत रेल और ग्राम पुलिस है) ।"

60. अब इस प्रक्रम पर संविधान के अनुच्छेद 254(1) के प्रति निर्देश करना प्रासंगिक है जिसमें संसद् और राज्य विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के बीच असंगतियों से संबंधित उपबंध अधिकथित किए गए हैं । अनुच्छेद 254(1) निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है :–

> "**254. संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति** – (1) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा बनाई गई विधि के, जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद् सक्षम है, किसी उपबंध के या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विद्यमान विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो खंड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, संसद् द्वारा बनाई गई विधि, चाहे वह ऐसे राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, या विद्यमान विधि, अभिभावी होगी और उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी ।"

इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 254(1) की आज्ञा से यह स्पष्ट होता है कि यदि संहिता और पुलिस अधिनियम, 1861 के उपबंधों के बीच कोई असंगति है तो संहिता के उपबंध अभिभावी होंगे और पुलिस अधिनियम के उपबंध विरोध की सीमा तक शून्य होंगे ।

61. यदि संहिता की धारा 154 और पुलिस अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों में इस तथ्य के बारे में कोई विसंगति है कि क्या प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में रजिस्ट्रीकृत की जानी है अथवा साधारण डायरी में रजिस्ट्रीकृत की जानी है, तो संहिता की धारा 154 के उपबंध अभिभावी होंगे और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 44 के उपबंध (या अन्य संबंधित राज्यों में संबंधित तत्स्थानी पुलिस अधिनियम या नियमों के उपबंध) विरोध की सीमा तक शून्य होंगे । इस प्रकार, जैसा कि संहिता की धारा 154 के अधीन आदिष्ट है, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में लेखबद्ध की जानी चाहिए और यह कहना सही नहीं है कि इत्तिला पहले साधारण डायरी में लेखबद्ध की जाएगी और प्रारंभिक जांच के पश्चात् ही, यदि अपेक्षित हो, इत्तिला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।

62. तथापि, इस न्यायालय ने **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि समुचित मामले में साधारण डायरी की प्रविष्टि को प्रथम इत्तिला माना जा सकता है जहां वह संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट करती हो । उसमें निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :–

> "15. हमारे समक्ष अपीलार्थियों द्वारा इस निष्कर्ष की शुद्धता को ही चुनौती दी गई है । उन्होंने यह दलील दी कि साधारण डायरी प्रविष्टि में लेखबद्ध इत्तिला से संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है । उन्होंने यह निवेदन किया कि भले ही उनकी यह दलील स्वीकार नहीं की जाती है कि साधारण डायरी प्रविष्टि लेखबद्ध करने के पश्चात् केवल प्रारंभिक जांच की गई थी, तब भी वे अन्वेषण की वैधता को इस आधार पर कायम रखने के हकदार हैं कि साधारण डायरी प्रविष्टि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानी जा सकती है चूंकि इससे संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता था ।
>
> 16. हमारे समक्ष पक्षकारों ने इस विधिक स्थिति के संबंध में विवाद नहीं किया था कि साधारण डायरी प्रविष्टि ऐसे समुचित मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानी जा सकती है जहां इससे संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है । यदि अपीलार्थियों की दलील को कायम रखा जाता है तो उच्च न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि यदि विधि की दृष्टि से संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट करने वाली कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट थी तो पुलिस को अन्वेषण करने और अन्वेषण के प्रक्रम में तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति और अधिकारिता थी । अतः हमारे लिए प्रारंभिक जांच की

विधिमान्यता और तलाशी और अभिग्रहण की विधिमान्यता के प्रश्न पर न्यायालय में उद्धृत नजीरों पर विचार करना आवश्यक नहीं है ।

* * * *

19. उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार करने में गलती की कि पुलिस द्वारा प्राप्त की गई इत्तिला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती थी चूंकि अभिकथन अस्पष्ट था क्योंकि यह नहीं कहा गया था कि एक लाख रुपए की राशि की मांग किससे की गई थी और किसने उसे अभिगृहीत किया था । न ही यह कथन किया गया था कि ऐसी मांग और अभिग्रहण किसी शासकीय कार्य को करने या न करने या अपने शासकीय कृत्य का प्रयोग करने में किसी व्यक्ति को अनुग्रह या अननुग्रह दर्शाने या दर्शाने से इनकार करने या किसी व्यक्ति को कोई सेवा या अपकार करने या करने का प्रयत्न करने के लिए हेतुक या पारिश्रमिक के रूप में किया गया है । इस प्रकार, किसी पुलिस अधिकारी के लिए कोई ऐसा अपराध किए जाने के बारे में संदेह करने का कोई आधार नहीं है, जिसके संबंध में वह संहिता की धारा 156 के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त है ।"

63. अतः, यह असंदिग्ध रूप से स्पष्ट है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है और यह भी कि इसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पुस्तक में प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को विशिष्ट वार्षिक संख्यांक देकर लेखबद्ध किया जाना होता है जिससे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा तथा सक्षम न्यायालय द्वारा, जिसे प्रत्येक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रति भेजी जानी आवश्यक है, उसका यथार्थतः पता लगाया जा सके ।

'इत्तिला'

64. विधान-मंडल ने धारा 41(1)(क) और (छ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के मुकाबले, जहां किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्रयोग की गई अभिव्यक्ति 'युक्तियुक्त परिवाद' या 'विश्वसनीय इत्तिला' है, संहिता की धारा 154(1) में सोच-समझकर 'इत्तिला' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है । संहिता की धारा 154(1) के अधीन अभिव्यक्ति को आगे 'युक्तियुक्त' या 'विश्वसनीय' शब्द से विशेषित नहीं किया गया है । संहिता की धारा 41(1)(क) और (छ) की तरह धारा 154(1) में 'इत्तिला' शब्द को अविशेषित करने का कारण यह है कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित किसी इत्तिला को इस आधार पर लेखबद्ध

करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के संबंध में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में, उक्त इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता किसी मामले को रजिस्ट्रीकृत करने की पूर्व शर्त नहीं है ।

65. उपर्युक्त मत इस न्यायालय द्वारा **भजन लाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में अभिव्यक्त किया गया है, जोकि निम्न प्रकार है :–

> "33. .... संहिता की धारा 154(1) में विधान-मंडल ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से ध्यानपूर्वक और सावधानी से 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण के किया है । जैसे संहिता की धारा 41(1)(क) या (छ) में कहा गया है जिसमें 'उचित परिवाद' और 'विश्वसनीय इत्तिला' पदों का प्रयोग किया गया है । प्रकट है कि संहिता की धारा 41(1)(क) और (छ) से भिन्न धारा 154(1) में 'इत्तिला' शब्द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग न करने का कारण यह हो सकता है कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने से संबंधित इत्तिला लेखबद्ध करने और उस पर मामला दर्ज करने से इस आधार पर इनकार नहीं करनी चाहिए कि उस इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के बारे में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में, उक्त इत्तिला की 'युक्तियुक्तता' या 'विश्वसनीयता' मामला दर्ज करने की पुरोभाव्य शर्त नहीं है । वर्तमान धारा 154 की पुरानी संहिता की धारा से तुलना करने पर पता चलता है कि विधान-मंडल से सप्रयोजन 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग विशेषण के बिना करना ठीक समझा ।"

66. **प्रकाश सिंह बादल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "71. धारा 154(1) में दी गई विधिक आज्ञा यह है कि [संहिता की धारा 2(ग) के अधीन यथा-परिभाषित] किसी 'संज्ञेय अपराध' के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला यदि [संहिता की धारा 2(ण) के अर्थान्तर्गत] 'किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को' मौखिक रूप में दी गई है (इस दशा में वह लेखबद्ध कर ली जाएगी) या लिखित में दी गई है और उस पर इत्तिला देने वाले व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए हैं तो उसे ऐसी पुस्तक में प्रविष्ट किया जाना चाहिए, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार

इस निमित्त विहित करे और इस रूप को सामान्य रूप से 'प्रथम इत्तिला रिपोट' कहा जाता है और उक्त रूप में इत्तिला प्रविष्ट करने का कार्य किसी अपराध या किसी मामले को दर्ज करने के रूप में जाना जाता है ।

72. संहिता की धारा 154(1) की आज्ञा का अनुपालन करते हुए कोई संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली इत्तिला के आधार पर कोई अपराध या कोई मामला दर्ज करने के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी इस संबंध में कोई जांच प्रारंभ नहीं कर सकता कि क्या इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला विश्वसनीय और असली है अथवा नहीं और इस आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि इत्तिला अवलंबनीय या विश्वसनीय नहीं है । दूसरी ओर, किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कानूनी रूप से मामला दर्ज करने और उसके पश्चात् अन्वेषण आरंभ करने के लिए बाध्य है यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह संहिता की धारा 157 के परन्तुक के अध्यधीन उसकी धारा 156 के अधीन सशक्त है । यदि किसी पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस अधिकारिता का प्रयोग करने से, जो उसमें निहित है और रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की इत्तिला के आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार करता है और उसके कारण उसे सौंपे गए कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो ऐसी इनकारी से व्यथित व्यक्ति इत्तिला का सार लिखित में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उसे प्रेषित इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तो उसे या तो मामले का स्वयं अन्वेषण करना चाहिए या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जो उसके अधीनस्थ हो, संहिता की धारा 154 की उपधारा (3) द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण करने का निदेश देना चाहिए ।

73. यह उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 154(1) में विधान-मंडल ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए सावधानी और सतर्कतापूर्वक 'इत्तिला' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया और उसे संहिता की धारा 41(1)(क) या (छ) में प्रयुक्त रूप में विशेषित नहीं किया जिसमें 'युक्तिसंगत शिकायत' और 'विश्वसनीय इत्तिला' अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है । स्पष्टतः, यह हो सकता है कि संहिता की

धारा 41(1)(क) और (छ) के विपरीत धारा 154(1) में 'इत्तिला' शब्द को इस कारण अविशेषित किया गया हो कि पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित कोई इत्तिला लेखबद्ध करने और इस आधार पर कोई मामला दर्ज करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि इत्तिला की युक्तिसंगतता या विश्वसनीयता के बारे में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में, उक्त इत्तिला की 'युक्तिसंगतता' या 'विश्वसनीयता' कोई मामला दर्ज करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है । वर्तमान धारा 154 की पूर्ववर्ती संहिताओं की धारा से तुलना करने पर यह उपदर्शित होगा कि विधान-मंडल ने जानबूझकर इत्तिला शब्द को विशेषित किए बिना केवल 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग करना उचित समझा । भारत की विधायी परिषद् द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 (1861 का अधिनियम सं. 25) की धारा 139 इस प्रकार पठित है कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष की गई 'प्रत्येक शिकायत या इत्तिला' लेखबद्ध की जानी चाहिए, जिस उपबंध को बाद में 1872 की संहिता (1872 का अधिनियम सं. 10) की धारा 112 द्वारा उपांतरित कर दिया गया जो कि बाद में इस प्रकार पठित थी कि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष की गई 'प्रत्येक शिकायत' लेखबद्ध की जाएगी । 'शिकायत' शब्द का, जो 1861 और 1872 की दो पूर्ववर्ती संहिताओं में आया था, लोप कर दिया गया और उसके स्थान पर 1882 और 1898 की संहिताओं में 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग किया गया था जिस शब्द का प्रयोग अब संहिता की धारा 154, 155, 157 और 190(ग) में किया गया है । सभी संहिताओं के समग्र पठन से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अपरिहार्य शर्त यह है कि एक इत्तिला होनी चाहिए और उस इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होना चाहिए ।

74. अतः, यह प्रकटतः स्पष्ट है कि यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष कोई संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली कोई ऐसी इत्तिला दी जाती है जिससे संहिता की धारा 154(1) की अपेक्षाएं पूरी होती हों तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं होता कि वह उसका सार विहित प्ररूप में प्रविष्ट करे, अर्थात्, ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला दर्ज करे ।"

67. **रमेश कुमारी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न

प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"4. यह अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं रहा है कि पुलिस अधिकारी को संहिता की धारा 154 के अधीन किसी संज्ञेय अपराध की नागरिक द्वारा शिकायत किए जाने पर आज्ञापक रूप से मामला रजिस्टर करना होता है । विधि के इस प्रश्न का इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य और अन्य **बनाम** भजनलाल और अन्य {[1991] 2 उम. नि. प. 812 = (1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 335} वाले मामले में समाधान किया जा चुका है । इस न्यायालय ने संपूर्ण विषय और संहिता की धारा 154 की आज्ञापक प्रकृति की जटिलताओं की परीक्षा करने के पश्चात् निर्णय में जो निष्कर्ष निकाला वह इस प्रकार है –

'32. संहिता की धारा 154(1) की आज्ञा के अनुपालन में संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली इत्तिला के आधार पर अपराध या मामले के रजिस्ट्रीकरण के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी यह जांच आरंभ नहीं कर सकता कि क्या इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला विश्वसनीय और वास्तविक है या नहीं और इस आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता कि इत्तिला विश्वसनीय नहीं है । इसके विपरीत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कानूनी रूप से मामला दर्ज करने के लिए और अन्वेषण आरंभ करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है यदि उसके पास अपराध किए जाने का संदेह करने का कारण है जिसका अन्वेषण करने के लिए वह संहिता की धारा 156 के अधीन सशक्त है जो कि धारा 157 के परंतुक के अधीन रहते हुए है । (चूंकि हम इस निर्णय के आगामी भाग में संहिता की धारा 156 और 157 की परिधि के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के अन्वेषण के क्षेत्र में पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में विस्तृत विवेचन करना चाहते हैं इसलिए हम वर्तमान संदर्भ में इन धाराओं पर विस्तारपूर्वक विचार नहीं करना चाहते) । यदि पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी निहित अधिकारिता का प्रयोग करने और रिपोर्ट किए गए संज्ञेय अपराध की इत्तिला पर मामला दर्ज करने से इनकार करता है और ऐसा करके अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उससे व्यथित व्यक्ति लिखित रूप में और डाक द्वारा उस इत्तिला का सार संबंधित

पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है । यदि पुलिस अधीक्षक का समाधान हो जाता है कि उसके पास भेजी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तो उसे या तो स्वयं मामले में अन्वेषण करना चाहिए या संहिता की धारा 154 की उपधारा (3) द्वारा उपबंधित रीति से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किए जाने का निदेश देना चाहिए ।

33. ध्यान रहे कि संहिता की धारा 154(1) में विधान-मंडल ने अपनी सामूहिक बुद्धिमत्ता से ध्यानपूर्वक और सावधानी से 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग बिना किसी विशेषण के किया है, जैसे संहिता की धारा 41(1)(क) या (छ) में किया गया है जिसमें कि 'उचित परिवाद' और 'विश्वसशनीय इत्तिला' पदों का प्रयोग किया गया है । प्रकटतया संहिता की धारा 41(1)(क) और (छ) से भिन्न धारा 154(1) में 'इत्तिला' शब्द के साथ किसी विशेषण का प्रयोग न करने का कारण यह हो सकता है कि पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध करने से संबंधित इत्तिला लेखबद्ध करने और उस पर मामला दर्ज करने से इस आधार पर इनकार नहीं करना चाहिए कि उस इत्तिला की युक्तियुक्तता या विश्वसनीयता के बारे में उसका समाधान नहीं हुआ है । दूसरे शब्दों में उक्त इत्तिला की 'युक्तियुक्तता' या 'विश्वसनीयता' मामला दर्ज करने की पुरोभाव्य शर्त नहीं है । वर्तमान धारा 154 की पुरानी संहिताओं की धाराओं से तुलना करने पर पता चलता है कि विधान-मंडल ने सप्रयोजन 'इत्तिला' शब्द का प्रयोग विशेषण के बिना करना ठीक समझा । भारत की विधान परिषद् द्वारा पारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1861 (1861 का अधिनियम सं. 25) की धारा 139 में लिखा था कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से किया गया प्रत्येक परिवाद या इत्तिला लेखबद्ध की जानी चाहिए । बाद में 1872 की संहिता (1872 का अधिनियम सं. 10) की धारा 112 द्वारा उक्त उपबंध में उपांतरण कर दिया गया जो तत्पश्चात् इस प्रकार थी कि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से किया गया 'प्रत्येक परिवाद' लेखबद्ध किया जाएगा । 'परिवाद' शब्द का जो 1861 और 1872 की दो पुरानी संहिताओं में आया था लोप कर दिया गया और उसके स्थान पर 1882 और 1898 की संहिताओं में

'इत्तिला' शब्द का प्रयोग किया गया जो अब 1973 की वर्तमान संहिता (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 154, 155, 157 और 189(ग) में प्रयुक्त किया गया है । इन सभी संहिताओं के समग्र भाग का परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को लेखबद्ध करने के लिए जो अनिवार्य शर्त है वह यह है कि इस बाबत इत्तिला होनी चाहिए और उस इत्तिला से संज्ञेय अपराध अवश्य प्रकट होना चाहिए ।'

अंततः, इस न्यायालय ने यह कहा कि –

'34. अतः यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि यदि संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली कोई इत्तिला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष रखी जाती है जो संहिता की धारा 154(1) की अपेक्षाओं की पूर्ति करती है तो उक्त पुलिस अधिकारी के पास विहित प्ररूप में उसका सार दर्ज करने, अर्थात् ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला दर्ज करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होता है ।'

5. इस न्यायालय द्वारा ऊपर उद्धृत पैरा 32, 33 और 34 में अभिव्यक्त मत से किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि संहिता की धारा 154 का उपबंध आज्ञापक है और संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध को प्रकट करने संबंधी ऐसी किसी इत्तिला के आधार पर मामले को रजिस्टर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है ।"

68. **राम लाल नारंग** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"14. दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अनुसार, जब कभी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में सूचना प्राप्त करे तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विहित प्ररूप में (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154) उस प्रयोजनार्थ उसके द्वारा रखी गई एक पुस्तक में उसका सारांश दर्ज करे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के द्वारा न्यायालय के आदेश के बिना संज्ञेय अपराधों के बारे में अन्वेषण करने की शक्ति पुलिस में विनिहित की गई थी । यदि प्राप्त की गई सूचना से या अन्यथा पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी संज्ञेय अपराध के किए जाने का संदेह करता है तो उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह ऐसे मजिस्ट्रेट को उसकी एक

रिपोर्ट तुरंत भेजे जो पुलिस रिपोर्ट पर ऐसे अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और फिर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए तथा अपराधी की खोज और गिरफ्तारी के लिए कदम उठाने के लिए (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157) घटनास्थल पर स्वयं जाए या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को भेजे । उससे अपेक्षित है कि अनावश्यक विलंब के बिना अन्वेषण पूरा किया जाए और ज्यों ही वह पूरा हो जाए उसे ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाए जो पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है । वह रिपोर्ट विहित प्ररूप में हो और उसमें पक्षकारों के नाम, जानकारी की प्रकृति और उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से अवगत प्रतीत होते हैं, दिए गए हों [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(1)] । उससे यह भी लिखने की अपेक्षा की जाती थी कि क्या अभियुक्त को अभिरक्षा में भेज दिया गया है या जमानत पर छोड़ दिया गया है । पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(1) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्ट प्राप्त करने पर पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान कर सकता है [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1)(ख)] । तत्पश्चात् यदि अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है तो मजिस्ट्रेट से अपेक्षित है कि वह अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेशिका जारी करे (दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 204) । इस प्रकार संहिता की स्कीम यह थी कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अन्वेषण किया जाना है, अन्वेषण के फलस्वरूप मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश की जाती है, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त करने पर मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करता है और अंत में संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट अभियुक्त को आदेशिका जारी करता है ।

15. इस प्रकार पुलिस को संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित हर सूचना को दर्ज करने का कानूनी अधिकार और कर्तव्य है । जहां संज्ञेय अपराध किए जाने की आशंका हो वहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अन्वेषण करने और ऐसे अन्वेषण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को भेजने का कानूनी अधिकार और कर्तव्य था जिसे पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने की अधिकारिता प्राप्त

है । पुलिस के इन कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों को अधीक्षण की या मजिस्ट्रेट के कार्यों में हस्तक्षेप करने की किसी शक्ति से सीमित नहीं किया गया था और न ही संज्ञेय अपराध के बारे में अन्वेषण करने के लिए पुलिस को सशक्त करने हेतु किसी मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेने की आवश्यकता थी । यह विधिक स्थिति सुस्थापित थी । एम्परर **बनाम** ख्वाजा नजीर अहमद (71 आई. ए. 203) वाले मामले में प्रिवी कौंसिल ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था –

> 'जैसे कि यह आवश्यक है कि किसी अपराध के अभियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि वह सम्यक्तः दोषमुक्त हो सके यदि उसे उस अपराध का दोषी न पाया जाए जिस पर उसका आरोप लगाया गया है । इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका को ऐसे मामलों में पुलिस के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो कि उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और जिनके संबंध में विधि उस पर जांच करने का कर्तव्य डालती है । जैसा कि दर्शाया जा चुका है, भारत में अभिकथित संज्ञेय अपराध की परिस्थितियों का, न्यायिक प्राधिकारियों से किसी प्राधिकारी की अपेक्षा किए बिना, अन्वेषण करने का पुलिस को कानूनी अधिकार है और जैसा कि माननीय न्यायाधीश समझते हैं, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी यदि न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करके उन कानूनी नियमों में हस्तक्षेप करना संभव ठहराया जाए । न्यायपालिका और पुलिस के कृत्य पूरक हैं, न कि अतिव्यापी और व्यष्टि की स्वाधीनता का विधि और व्यवस्था के सम्यक् पालन के साथ संयोग तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रत्येक को अपने कार्य करने दिए जाएं जो कि निस्संदेह सर्वथा न्यायालय के इस अधिकार के अध्यधीन रहते हुए हो कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के अधीन आवेदन किए जाने पर समुचित मामले में बन्दी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति के निदेश देने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं । किन्तु वर्तमान मामले की भांति ऐसे मामले में न्यायालय का कार्य तब आरंभ होता है जब कोई आरोप उसके समक्ष लाया जाता है और उस समय तक नहीं ..... । प्रस्तुत मामले में पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और

156 के अधीन न्यायालय की मंजूरी की अपेक्षा किए बिना किसी भी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने का कानूनी अधिकार है .... ।'

सामान्यतः पुलिस का अधिकार और कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर समाप्त हो जाता है जिसकी प्राप्ति पर यह मजिस्ट्रेट का काम है कि वह अपराध का संज्ञान करे या न करे । 1898 की संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं था जो पुलिस द्वारा तब अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विहित करता हो जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद और मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किए जाने के बाद नए तथ्य प्रकाश में आ जाते हैं जिनके बारे में और आगे अन्वेषण किया जाना चाहिए । निस्संदेह ऐसा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं था जो पुलिस को धारा 173(1) के अधीन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के बाद या मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान किए जाने के बाद प्रकाश में आए नए तथ्यों के बारे में अन्वेषण करने से प्रतिषिद्ध करता हो । जैसा कि हम अभी उल्लेख करेंगे बहुत से उच्च न्यायालयों का आमतौर पर यह विचार था, यद्यपि कुछ को संदेह था, कि पुलिस इस परिस्थिति के कारण आगे अन्वेषण करने से वर्जित नहीं है कि धारा 173 के अधीन रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और मजिस्ट्रेट पहले ही अपराध का संज्ञान कर चुका है । विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में स्थिति को स्वीकार किया और यह सिफारिश की कि और आगे अन्वेषण करने के अधिकार की कानूनी तौर पर पुष्टि की जानी चाहिए । विधि आयोग ने कहा था –

'14.23. आमतौर पर धारा 173 के अधीन रिपोर्ट के साथ ही अन्वेषण का अंत हो जाता है किन्तु कभी-कभी धारा 173 के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद पुलिस अधिकारी को ऐसा साक्ष्य मिल जाता है जो अभियुक्त की दोषिता या निर्दोषिता से संबंधित है । हमें यह सोचना चाहिए कि पुलिस अधिकारी उस साक्ष्य को एकत्र कर सकता है और उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालयों ने कभी-कभी यह संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है कि जब एक बार धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है तो पुलिस उस मामले में फिर से हाथ नहीं लगा सकती और

उसका अन्वेषण फिर से आरंभ नहीं कर सकती । इस दृष्टिकोण से अन्वेषण अधिकरण के मार्ग में अड़चन पैदा होती है जो कि अभियोजन पक्ष के लिए बहुत ही अनुचित हो सकती है और उस मामले के लिए अभियुक्त के लिए भी बहुत अनुचित हो सकती है । धारा 113 में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि सक्षम पुलिस अधिकारी ऐसे साक्ष्य की जांच कर सकता है और मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेज सकता है । निस्संदेह नई सामग्री से संबंधित प्रतियां अभियुक्त को भी देनी होंगी ।'

तदनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक नया उपबंध [धारा 173(8)] जोड़ा गया । उसमें लिखा है –

'इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं ।'"

69. **लल्लन चौधरी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"8. अतः, संहिता की धारा 154 पुलिस अधिकारी पर यह कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह, जैसा कि परिवाद में प्रकट किया गया है, मामला रजिस्ट्रीकृत करे और इसके बाद अन्वेषण की कार्यवाही करे । धारा 154 की आज्ञा अभिव्यक्ततः स्पष्ट है कि यदि किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष संज्ञेय अपराध प्रकट करने वाली इत्तिला रखी जाती है तो ऐसे पुलिस अधिकारी के पास ऐसी इत्तिला के आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता है ।

9. रमेश कुमारी **बनाम** राज्य (राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली) वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा

154 का उपबंध आज्ञापक है । इसलिए संबंधित अधिकारी संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली ऐसी किसी इत्तिला के आधार पर मामले को रजिस्टर करने के लिए कर्तव्यबद्ध है । इत्तिला की यथार्थता या विश्वसनीयता मामले को रजिस्ट्रीकृत करने की पूर्व शर्त नहीं है । इस पर मामला रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् ही विचार किया जा सकता है ।

10. संहिता की धारा 154 की आज्ञा यह है कि संज्ञेय अपराध को प्रकट करने वाली इत्तिला के आधार पर कोई अपराध या मामला रजिस्ट्रीकृत करने के प्रक्रम पर संबंधित पुलिस अधिकारी इस संबंध में जांच आरंभ नहीं कर सकता कि क्या इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला विश्वसनीय और सही है अथवा नहीं और इस आधार पर मामला रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार नहीं कर सकता कि इत्तिला सुसंगत या विश्वसनीय नहीं है । दूसरे शब्दों में, विश्वसनीयता, यथार्थता और प्रामाणिकता संहिता की धारा 154 के अधीन मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है ।"

ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि इत्तिला की युक्तिसंगतता या विश्वसनीयता मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पूर्व शर्त नहीं है ।

प्रारंभिक जांच

70. श्री नफादे ने अपनी इस दलील के समर्थन में कि यदि पुलिस अधिकारी को आरोप की सत्यता के बारे में कोई संदेह है तो उसे प्रारंभिक जांच करनी है, निम्नलिखित विनिश्चयों का अवलंब लिया, अर्थात्, **ई. पी. रायप्पा** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1], **मेनका गांधी** (उपर्युक्त), **एस. एम. डी. किरन पाशा** बनाम **आन्ध्र प्रदेश सरकार**[2], **डी. के. बसु** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[3], **उमा शंकर सितानी** बनाम **पुलिस आयुक्त, दिल्ली और अन्य**[4], **प्रीति गुप्ता** (उपर्युक्त), **फ्रांसिस कोराली मुलिन** बनाम **प्रशासक, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र**[5], **कामन काज़, एक रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी** बनाम **भारत संघ**[1],

---

[1] (1974) 4 एस. सी. सी. 3.
[2] (1990) 1 एस. सी. सी. 328.
[3] (1997) 1 एस. सी. सी. 416.
[4] (1996) 11 एस. सी. सी. 714.
[5] (1981) 1 एस. सी. सी. 608.

जिला रजिस्ट्रार और कलक्टर, हैदराबाद बनाम **केनरा बैंक**[2] और **रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] ।

71. राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने इसके आगे बलपूर्वक यह दलील दी कि समुचित मामलों में किसी पुलिस अधिकारी के लिए संज्ञेय अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर अपना यह समाधान करना उचित होगा कि प्रथमदृष्ट्या परिवाद में अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभिकथन विश्वसनीय हैं । इस संबंध में, श्री नफादे ने निम्नलिखित विनिश्चयों को उद्धृत किया, अर्थात्, **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त) **भगवंत किशोर जोशी** (उपर्युक्त), **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त), **सेवी** (उपर्युक्त), **शशिकांत** (उपर्युक्त), **राजेन्द्र सिंह कटोच** (उपर्युक्त), **विनीत नारायण** बनाम **भारत संघ**[4], **एलूमलाई** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[5], **ए. लक्ष्मणराव** बनाम **न्यायिक मजिस्ट्रेट, पार्वतीपुरम**[6], **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **राम सागर यादव और अन्य**[7], **मोना पनवर** बनाम **इलाहाबाद उच्च न्यायालय**[8], **एप्रेन जोसेफ** बनाम **केरल राज्य**[9], **किंग एम्परर** बनाम **ख्वाजा नाज़िर अहमद**[10] और **सारंगधरसिंह शिवदाससिंह चव्हाण** (उपर्युक्त) ।

72. उसने आगे यह इंगित किया कि उपबंधों का पठन द्वेषपूर्ण अभियोजन के सिद्धांत और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकारों के प्रकाश में करना होगा । विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल का यह पक्षकथन है कि प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि उसके विरुद्ध द्वेषपूर्ण अभियोजन न चलाया जाए और प्रत्येक पुलिस अधिकारी का धारा 154 के अधीन अंतर्निहित कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को किसी दांडिक मामले में मिथ्या आलिप्त न किया जाए । यदि इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस अधिकारी का संज्ञेय

---

[1] (1999) 6 एस. सी. सी. 667.
[2] (2005) 1 एस. सी. सी. 496.
[3] (2005) 5 एस. सी. सी. 294.
[4] (1998) 1 एस. सी. सी. 226.
[5] (1983) एल. डब्ल्यू. (क्रि.) 121.
[6] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 186.
[7] (1985) 1 एस. सी. सी. 552.
[8] (2011) 3 एस. सी. सी. 496.
[9] (1973) 3 एस. सी. सी. 114.
[10] ए. आई. आर. 1945 प्रिवी कौंसिल 18.

अपराध किए जाने के संबंध में प्रथमदृष्ट्या समाधान नहीं हुआ है और वह प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने की कार्यवाही करता है और अन्वेषण करता है तो इसका परिणाम नागरिक की स्वाधीनता को खतरे में डालना होगा । इसलिए, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने बलपूर्वक यह अभिवाक् किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की जाए ।

73. संहिता की धारा 154 में प्रयुक्त भाषा के निबंधनानुसार पुलिस संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला (अर्थात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट) प्राप्त किए बिना भी ऐसे अपराध का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने के लिए कर्तव्यबद्ध है यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अन्यथा ऐसा कोई अपराध किए जाने का संदेह होता है । अतः, विधायी आशय पूर्णतः स्पष्ट है, अर्थात्, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक संज्ञेय अपराध के संबंध में विधि के अनुसार तत्परता से अन्वेषण किया जाए । यह विधिक स्थिति होने के कारण इस संबंध में कोई कारण नहीं है पुलिस के पास प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने या न करने का कोई विवेकाधिकार या विकल्प होना चाहिए जब कि संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में इत्तिला दी जाती है । प्रत्येक संज्ञेय अपराध का तत्परता से अन्वेषण किया जाना चाहिए और संहिता की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में दी गई समस्त जानकारी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए जिससे कि अपराध के संबंध में कार्यवाही आरंभ की जा सके । संहिता की धारा 154 की अपेक्षा केवल यह है कि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध का किया जाना अवश्य प्रकट होना चाहिए और अन्वेषक मशीनरी को गतिशील बनाने के लिए यही पर्याप्त है ।

74. धारा 154 की उपधारा (3) को संशोधन द्वारा अंतःस्थापित करने से विधान-मंडल का यह सुनिश्चित करने का आशय प्रकट होता है कि संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में किसी भी इत्तिला को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए या उस पर ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अभिकथित आरोपी/अपराधी को अन्यायोचित्यपूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा ।

75. संहिता की धारा 154 के निर्वचन में एक बात की अभिव्यक्ति दूसरी बात के अपवर्जन का सूत्र लागू होता है, जहां इत्तिला को लेखबद्ध करने की आज्ञा संज्ञेय अपराध किए जाने संबंधी इत्तिला को विशेष रजिस्टर में लेखबद्ध न करने की संभाव्यता को अपवर्जित करती है ।

76. अतः, संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् अपराध का अन्वेषण करना "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" है और इस प्रकार वह संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है । तदनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अभियुक्त के अधिकार को संरक्षण प्राप्त हो जाता है यदि सबसे पहले प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है और उसके बाद विधि के उपबंधों के अनुसार अन्वेषण किया जाता है ।

77. संहिता की धारा 2(छ) के अनुसार 'जांच' पद निम्नलिखित रूप में है :–

> "2(छ). 'जांच' से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न, ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए ।"

अतः, यह स्पष्ट है कि संहिता के अधीन जांच का संबंध न्यायिक कृत्य से है न कि पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले उन कदमों से है जो या तो संहिता की धारा 154 के प्रक्रम के पश्चात् अन्वेषण करना है जिसे प्रारंभिक जांच कहा जाता है और जो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पहले उठाए जाते हैं भले ही साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है ।

78. यद्यपि संहिता की धारा 159 और धारा 202 तथा धारा 340 के अधीन "प्रारंभिक जांच" और "जांच" पदों के प्रति निर्देश किया गया है तथापि, यह न्यायालय द्वारा न कि पुलिस द्वारा की जाने वाली न्यायिक कार्यवाही है और यह प्रस्तुत संदर्भ के प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं है ।

79. इसके अलावा, विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो मैनुअल के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का अवलंब लिया जिसका अर्थ धारा 154 से लगाया जाना चाहिए । यह सही है कि "प्रारंभिक जांच" की संकल्पना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अपराध मैनुअल के अध्याय 9 में अंतर्विष्ट है । तथापि, यह अपराध मैनुअल कोई कानून नहीं है और इसे विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया है । यह केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों के आंतरिक मार्गदर्शन के लिए जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों का एक खंड है । यह संहिता को अतिष्ठित नहीं कर सकता है । इसके अलावा, स्वयं संहिता में इसके प्रतिकूल किसी संकेत के अभाव में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अपराध मैनुअल के उपबंधों का दंड

प्रक्रिया संहिता की स्कीम में प्रारंभिक जांच करने की संकल्पना का अर्थ लगाने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है । इस प्रक्रम पर, यह निवेदन करना भी प्रांसगिक है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का गठन एक विशेष अधिनियम, अर्थात्, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 के अधीन किया गया है और वह अन्वेषण करने की अपनी शक्ति इस अधिनियम से प्राप्त करता है ।

80. यह निवेदन किया जा सकता है कि संहिता की धारा 4(2) और धारा 5 विशेष अधिनियमों के लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करने की अनुज्ञा देती है । संहिता की धारा 4 में निम्न प्रकार अधिकथित है :–

> "**4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण** – (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।
>
> (2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी ।"

इस प्रकार यह सही है कि भारतीय दंड संहिता से भिन्न विधियों के अधीन अपराधों के लिए विशेष अधिनियम के अधीन उन अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण इत्यादि को विनियमित करने के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध अधिकथित किए जा सकते हैं । संहिता की धारा 4(2) ऐसे विशेष उपबंधों को संरक्षण प्रदान करती है ।

81. इसके अलावा, संहिता की धारा 5 में निम्न प्रकार अधिकथित किया गया है :–

> "**5. व्यावृत्ति** – इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी ।"

इस प्रकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम में अंतर्विष्ट केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्तियों से संबंधित विशेष उपबंधों को संहिता की धारा 5 द्वारा भी संरक्षण प्राप्त है ।

82. संहिता में उपर्युक्त विनिर्दिष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्तियों की तुलना संहिता के अधीन नियमित राज्य पुलिस की शक्तियों से नहीं की जा सकती है ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट शीघ्र रजिस्ट्रीकृत करने का महत्व और उसके लिए बाध्यकारी कारण

83. सर्वप्रथम प्राप्त इत्तिला को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत करके प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ दोहरा है : एक यह कि दांडिक प्रक्रिया गतिशील हो जाती है और वह आरंभ से ही भली प्रकार प्रलेखित होती है और दूसरा यह कि कोई संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्राप्त सर्वप्रथम इत्तिला लेखबद्ध की जाती है जिससे कि बाद में कोई अतिरंजन न हो ।

84. लोकतंत्र और स्वाधीनता के सिद्धांत पुलिस शक्तियों पर नियमित और पर्याप्त नियंत्रण की मांग करते हैं । ऐसी शक्तियों वाले प्राधिकारियों पर नियंत्रण रखने का एक तरीका उनके प्रत्येक कार्य को प्रलेखित करना है । तदनुसार, संहिता के अधीन पुलिस के कार्य इत्यादि को लिखने और प्रलेखित करने के उपबंध किए गए हैं । उदाहरणार्थ, संहिता की धारा 41(1)(ख) के अधीन गिरफ्तारी की दशा में, गिरफ्तारी ज्ञापन और उसके आधार आज्ञापक रूप से लिखित में होने चाहिएं, संहिता की धारा 55 के अधीन यदि किसी अधिकारी को गिरफ्तारी करने के लिए भेजा जाता है तो वरिष्ठ अधिकारी को उस अपराध को, जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, लिखना और लेखबद्ध करना होता है ; संहिता की धारा 91 के अधीन संबंधित अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों की ईप्सा करने के लिए एक लिखित आदेश पारित करना होगा, संहिता की धारा 160 के अधीन साक्षी को लिखित सूचना जारी करनी होगी जिससे कि उसका कथन लेखबद्ध करने के लिए उसे बुलाया जा सके, अभिगृहीत की गई प्रत्येक वस्तु इत्यादि का अभिग्रहण ज्ञापन/पंचनामा तैयार करना होगा ।

85. पुलिस से अनेक अभिलेख रखने की अपेक्षा की जाती है जिनमें संहिता की धारा 172 के अधीन यथा-उपबंधित मामला डायरी, पुलिस

अधिनियम की धारा 44 के अधीन यथा-उपबंधित साधारण डायरी इत्यादि हैं, जो कि एकत्र की गई प्रत्येक जानकारी, दौरा किए गए स्थलों और पुलिस अधिकारियों के ऐसे सभी कार्यों को लेखबद्ध करने में सहायक होती है जिनसे उनकी गतिविधियों को प्रलेखित किया जा सकता है । इसके अलावा, किसी असंज्ञेय अपराध को किए जाने के संबंध में प्राप्त की गई प्रत्येक इत्तिला भी संहिता की धारा 155 के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जानी होती है ।

86. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का आधार न केवल दांडिक न्याय परिदान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है बल्कि न्यायिक दूरदर्शिता सुनिश्चित करना भी है । धारा 157(1) में "तत्काल" शब्द का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार, धारा 154(1) के अधीन या अन्यथा प्राप्त किसी इत्तिला की सम्यक् जानकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के रूप में की जानी होगी । इस प्रकार संज्ञेय अपराध किए जाने की जानकारी न केवल अन्वेषक अभिकरण को बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका को भी की जाती है ।

87. संहिता में दो किस्म की प्रथम इत्तिला रिपोर्टें अनुध्यात हैं । धारा 154(1) के अधीन सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता द्वारा पुलिस थाने के संबंधित अधिकारी को की जाती है । दूसरी किस्म की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट वह हो सकती है जो पुलिस द्वारा स्वयं प्राप्त किसी इत्तिला द्वारा या किसी इत्तिलाकर्ता से भिन्न किसी माध्यम से रजिस्ट्रीकृत की जाती है [धारा 157(1)] और यह इत्तिला भी सम्यक् रूप से लेखबद्ध करनी होती है और इसकी प्रति तत्काल मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए ।

88. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का या तो संहिता की धारा 154(1) के अधीन इत्तिलाकर्ता द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर या अन्यथा संहिता की धारा 157(1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाना बाध्यकर है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने की बाध्यता में ये लाभ अंतर्निहित हैं :–

(क) यह किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय तक पहुंच का पहला कदम है ।

(ख) इससे 'विधि का शासन' कायम होता है चूंकि एक साधारण व्यक्ति संज्ञेय अपराध किए जाने के बारे में जानकारी राज्य को प्रकट करता है ।

(ग) इससे द्रुत अन्वेषण और कभी-कभी अपराध का निवारण भी सुकर होता है । दोनों दशाओं में इससे विधि व्यवस्था कार्यान्वित होती है ।

(घ) इसके परिणामस्वरूप दांडिक मामलों में छलसाधन में कमी आती है और पूर्व-दिनांकित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या जानबूझकर विलंबित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की घटनाओं में कमी आती है ।

89. **थुलिया काली** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"12. ..... किसी दांडिक मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विचारण में पेश किए गए मौखिक साक्ष्य को संपुष्ट करने के प्रयोजनार्थ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य साक्ष्य होता है । उक्त रिपोर्ट के महत्व को अभियुक्त के दृष्टिकोण से वास्तविकता से अधिक आंकना संभव नहीं हो सकता है । पुलिस को अपराध किए जाने की बाबत तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के संबंध में, जिनमें अपराध कारित किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका तथा घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों के नामों की शीघ्रतम जानकारी प्राप्त करना है । प्रायः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब के परिणामस्वरूप अतिरंजन होता है जो कि सोच-विचार कर सृष्ट किया जाता है । विलंब के कारण न केवल रिपोर्ट सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है बल्कि विचार-विमर्श या परामर्श के परिणामस्वरूप रंजित पाठ, बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन करने या गढ़ी गई कहानी पेश करने का खतरा पैदा होता है । अतः, यह आवश्यक है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में होने वाले विलंब को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए.... ।"

90. **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था :–

"20. यह सुस्थापित है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ऐसा सार्वभौमकोश नहीं है जिससे प्रतिवेदित अपराध से संबंधित सभी तथ्य और ब्यौरे अवश्य प्रकट होने चाहिएं । कोई इत्तिलाकर्ता अपराध किए जाने के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है हालांकि उसे आहत व्यक्ति

---

[1] (1972) 3 एस. सी. सी. 393.

या उसके हमलावर के नाम का भी पता न हो । उसे इस बात की जानकारी भी न हो कि घटना किस प्रकार घटी । प्रथम इत्तिला देने वाले का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं है जिससे कि वह कारित किए गए अपराध के सभी पहलुओं को अत्यंत विस्तार से प्रकट कर सके । महत्व इस बात का होता है कि दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए और इस प्रकार दर्ज की गई इत्तिला पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध किए जाने का संदेह करने के लिए आधार प्रदान करती हो । इस प्रक्रम पर यह पर्याप्त है यदि पुलिस अधिकारी दी गई इत्तिला के आधार पर कोई संज्ञेय अपराध किए जाने का संदेह करता है और न कि यह कि उसका यह पक्का विश्वास या समाधान हो जाना चाहिए कि कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है । यदि उसके पास प्राप्त की गई इत्तिला के आधार पर इस संबंध में संदेह करने के कारण हैं कि हो सकता है कि कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया हो तो वह इत्तिला लेखबद्ध करने और अन्वेषण करने के लिए बाध्य है । इस प्रक्रम पर उसके लिए इत्तिला की सत्यता के बारे में अपना समाधान करना भी आवश्यक नहीं होता है । वह संपूर्ण अन्वेषण के पश्चात् ही इत्तिला की सत्यता या अन्यथा के बारे में रिपोर्ट करने में समर्थ हो सकता है । इसी प्रकार, भले ही इत्तिला में सभी ब्यौरे न दिए गए हों तो भी उसे अन्वेषण के अनुक्रम में उन ब्यौरों का पता लगाना चाहिए और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने चाहिएं । दी गई ऐसी इत्तिला से, जिससे संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है, सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र करने और इसके पश्चात् विधि के अनुसार कार्रवाई करने की दृष्टि से अन्वेषण मशीनरी ही गतिशील होती है । वास्तविक कसौटी यह है कि क्या दी गई इत्तिला से अपराध किए जाने के बारे में संदेह करने का कारण प्रतीत होता है जिसके लिए संबंधित पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 156 के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त है । यदि ऐसा संदेह उत्पन्न होता है तो उसके पास इत्तिला लेखबद्ध करने और मामले का अन्वेषण या तो स्वयं करने या किसी अन्य सक्षम अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए प्रतिनियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है । यह प्रश्न कि क्या रिपोर्ट सही है, क्या वह घटना की रीति के संबंध में पूरे ब्यौरे प्रकट करती है, क्या अभियुक्त का नाम दिया गया है और क्या अभिकथनों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है, ये सभी ऐसी बातें हैं जो इस

प्रश्न पर विचार करने से भिन्न हैं कि क्या रिपोर्ट से कोई संज्ञेय अपराध किया जाना प्रकट होता है । भले ही इत्तिला में इन बातों के संबंध में पूरे ब्यौरे न दिए गए हों तो भी अन्वेषक अधिकारी मामले का अन्वेषण करने और यदि वह सही तथ्यों का पता लगा सकता है तो पता लगाने संबंधी अपने कर्तव्य से अवमुक्त नहीं है ।"

91. **मधु बाला** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"6. सर्वप्रथम संहिता के सुसंगत उपबंधों पर विचार करते हुए, धारा 2(घ) में "परिवाद" की परिभाषा दी गई है जिससे इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है । धारा 2(ग) के अधीन "संज्ञेय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और "संज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी (संहिता की) प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है । धारा 2(द) के अधीन "पुलिस रिपोर्ट" से पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है । संहिता का अध्याय 12, जिसमें धारा 154 से धारा 176 समाविष्ट हैं, पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों के संबंध में है । धारा 154 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है कि संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक दी गई है तो उसके द्वारा लेखबद्ध कर ली जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर, यदि वह लिखित रूप में दी गई हो उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे रहा है और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा । संहिता की धारा 156, जिनसे इन अपीलों में हमारा प्रमुख रूप से संबंध है, निम्नलिखित रूप में है : .....

9. ऐसे मामलों को रजिस्ट्रीकृत करने की पद्धति और रीति विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन विरचित नियमों में अधिकथित की गई है । चूंकि वर्तमान

मामले में हमारा संबंध उक्त अधिनियम के अधीन विरचित पंजाब पुलिस नियम, 1934 से है (जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में लागू होती है) इसलिए अब हम उन नियमों के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश कर सकते हैं । उक्त नियमों के अध्याय 24 में वह प्रक्रिया अधिकथित की गई है जिसका अनुसरण पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अपराध किए जाने की इत्तिला प्राप्त होने पर करना होता है । अध्याय में आने वाले नियम 24.1 के अधीन संहिता की धारा 154 के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक इत्तिला प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर में और उसका सार दैनिक डायरी में प्रविष्ट किया जाना चाहिए । नियम 24.5 में यह कहा गया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्टर प्ररूप 24.5(1) में मुद्रित ऐसी पुस्तक होगी जिसमें 200 पृष्ठ होंगे और नई पुस्तक आरंभ करने से पूर्व उसे पूर्ण रूप से भर लिया जाएगा । इसमें इसके आगे यह अपेक्षित है कि मामलों को प्रत्येक पुलिस थाने में प्रत्येक कलैंडर वर्ष के लिए वार्षिक क्रम संख्यांक दिए जाएंगे । उक्त नियमों की अन्य अपेक्षाओं को वर्णित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका विवादग्रस्त मुद्दे से कोई संबंध नहीं है ।

10. पूर्वगामी विचार-विमर्श से यह स्पष्ट होता है कि जब कभी मजिस्ट्रेट किसी "परिवाद" पर अन्वेषण करने का निदेश देता है तब पुलिस को उसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानकर उस परिवाद के आधार पर संज्ञेय मामला रजिस्ट्रीकृत करना होता है और उक्त नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है । अतः, इससे हमारी यह धारणा अग्रसर होती है कि किस प्रकार मजिस्ट्रेट का वह निदेश, जिसमें पुलिस को "मामला रजिस्ट्रीकृत" करने के लिए कहा गया है, धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण के आदेश को वैध रूप से असंधार्य बना देता है । वास्तव में, भले ही कोई मजिस्ट्रेट मामला रजिस्ट्रीकृत करने का निदेश पारित न करे तो भी संहिता की धारा 156(1) के उपबंधों, जिसमें पुलिस को संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की गई है और भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन विरचित नियमों को ध्यान में रखते हुए वह (पुलिस) औपचारिक रूप से मामले रजिस्ट्रीकृत करने और उसके बाद उसका अन्वेषण करने के लिए कर्तव्यबद्ध है । अतः, संहिता के उपबंध मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को पुलिस थाने में मामला रजिस्ट्रीकृत करने और उसके बाद उसका अन्वेषण करने का निदेश देने के मार्ग में किसी भी प्रकार से

बाधक नहीं हैं । हमारी राय में, जब संहिता की धारा 156(3) के अधीन अन्वेषण के लिए कोई आदेश किया जाना होता है तब पुलिस को परिवाद को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट मानकर पुलिस थाने में मामला रजिस्ट्रीकृत करने और उसका अन्वेषण करने का निदेश देना समुचित होगा ।"

92. उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार गरीबों के हितों का संरक्षण करना स्पष्ट रूप से संहिता के मुख्य उद्देश्यों में से एक है । कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला को रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक बनाना समाज के लिए, विशेष रूप से देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सहायक होगा ।

93. दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति ने भी, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति डा. वी. एस. मलीमथ ने की थी, प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के कारण अनेक लोगों द्वारा झेली गई दुर्दशा की अवेक्षा की और यह सिफारिश की कि उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऐसी इत्तिला रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करते हैं । समिति ने निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

"7.19.1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक मौखिक या लिखित इत्तिला को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आदिष्ट है । मामलों का रजिस्ट्रीकृत न किया जाना पुलिस के विरुद्ध एक गंभीर शिकायत है । राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में इस संबंध में रोष व्यक्त किया कि पुलिस अन्वेषण करने के लिए मामलों को रजिस्ट्रीकृत करने से बचती है जहां पुलिस थानों में विनिर्दिष्ट शिकायतें दर्ज की जाती हैं । उसने इंडिया इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन, नई दिल्ली द्वारा भारत में पुलिस की छवि के संबंध में किए गए अध्ययन के प्रति निर्देश किया जिसने यह मत व्यक्त किया कि 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्यर्थियों ने पुलिस थानों में शिकायतों को दर्ज न करने की सामान्य पद्धति का उल्लेख किया है ।

7.19.2 समिति यह सिफारिश करती है कि सभी परिवाद तत्काल रजिस्ट्रीकृत किए जाने चाहिएं जिसके न हो सकने पर समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए । इसके लिए राजनैतिक कार्यपालकों और वह भी वरिष्ठ अधिकारियों की मनःस्थिति में परिवर्तन लाना आवश्यक होगा ।

7.19.4 रजिस्ट्रीकरण से संबंधित दो अतिरिक्त पहलू हैं । प्रथम, पुलिस द्वारा विधि की समुचित धाराओं का अवलंब न लेकर अपराधों का न्यूनीकरण है । हम इस प्रवृत्ति का अनुमोदन नहीं करते हैं । प्रत्येक मामले में अंतर्वलित अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना विधि की समुचित धाराओं का अवलंब लिया जाना चाहिए । दूसरा मुद्दा लिखित परिवादों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है । पुलिस थाने के अधिकारियों के बीच ऐसी इत्तिला देने वालों को, जो मौखिक शिकायतें करने आते हैं, लिखित परिवाद लाने की सलाह देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है । यह गलत है । इससे रजिस्ट्रीकरण में विलंब होता है जिसके परिणामस्वरूप अन्वेषण प्रारंभ करने और अपराधियों के पकड़े जाने में बहुमूल्य समय की हानि होती है । इसके अलावा, परिवादियों को अपने मित्रों, नातेदारों और कभी-कभी वकीलों से भी परामर्श करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और इससे प्रायः अपराध को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है और निर्दोष व्यक्तियों को फंसा दिया जाता है । परिणामतः इसका विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । यदि इत्तिला मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस थाने के अधिकारी द्वारा उसे समय बर्बाद किए बिना लेखबद्ध किया जाना चाहिए जिससे कि अभिकथित अपराध के बारे में सर्वप्रथम बयान अभिलेखबद्ध हो जाए ।

7.20.11 समिति के ध्यान में यह आया है कि संज्ञेय मामलों में भी पुलिस अधिकारी प्रायः परिवाद ग्रहण नहीं करते और परिवादी को यह कहकर भगा देते हैं कि अपराध संज्ञेय नहीं है । कभी-कभी पुलिस राजनैतिक या अन्य दबावों या भ्रष्टाचार के कारण मामले को संज्ञेय प्रवर्ग में लाने के लिए तथ्यों को तोड़-मरोड़ देती है हालांकि वह असंज्ञेय होता है । पुलिस अधिकारी को उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक परिवाद को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए बाध्यकर बनाकर इस बुराई को रोका जा सकता है । इस कर्तव्य का भंग करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध बनना चाहिए जिससे कि पुलिस अधिकारियों को अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोका जा सके ।"

94. इसका अभिप्राय यह है कि रजिस्ट्रीकृत न की जाने वाली प्रथम इत्तिला रिपोर्टों की संख्या वास्तव में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली प्रथम इत्तिला रिपोर्टों की संख्या के लगभग समान है । राष्ट्रीय अपराध अनुसंधान बोर्ड के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, जो यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2012 के दौरान

भारत में लगभग 60 लाख संज्ञेय अपराध रजिस्ट्रीकृत किए गए थे, प्रत्येक वर्ष दबाए जाने वाले अपराधों की संख्या लगभग 60 लाख हो सकती है । इस प्रकार, यह दृष्टव्य है कि प्रत्येक वर्ष इतनी बड़ी संख्या में प्रथम इत्तिला रिपोर्टें रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती हैं जो कि इतनी बड़ी संख्या में अपराधों के शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट अतिक्रमण है ।

95. अपराध को दबाए जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालिक रूप से विधिसम्मत शासन का तनुकरण होता है और दीर्घकालिक रूप से इसका विधिसम्मत शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि लोग विधिसम्मत शासन का सम्मान करना बन्द कर देते हैं । इस प्रकार, इतनी बड़ी संख्या में प्रथम इत्तिला रिपोर्टों का रजिस्ट्रीकृत न किए जाने के परिणामस्वरूप समाज में एक निश्चित अराजकता पैदा हो जाती है ।

96. अतः, धारा 154 का किसी अन्य रूप में पठन करना न केवल समिति की स्कीम के लिए अहितकर होगा बल्कि व्यापक रूप से समाज के लिए भी अहितकर होगा । इस प्रकार यह दृष्टव्य है कि इस न्यायालय ने विभिन्न विनिश्चित मामलों में बारंबार यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत करना आज्ञापक है यदि पुलिस को संहिता की धारा 154 के अधीन दी गई इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है ।

क्या इस उपबंध का दुरुपयोग किए जाने की संभाव्यता है ?

97. प्रारंभिक जांच के समर्थन में दिया गया उद्दीपित करने वाला एक अन्य तर्क यह है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आज्ञापक रजिस्ट्रीकरण के परिणामस्वरूप मनमानी गिरफ्तारी होगी जिससे प्रत्यक्षतः संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा ।

98. जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है, किन्तु अभियुक्त को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने पर तुरंत गिरफ्तार करना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है । वास्तव में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना और अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना विधि के अधीन दो पूर्णतः भिन्न-भिन्न संकल्पनाएं हैं और गिरफ्तारी के विरुद्ध अनेक रक्षोपाय उपलब्ध हैं । इसके अलावा, यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अभियुक्त व्यक्ति के पास संहिता की धारा 438 के उपबंधों के अधीन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार भी है यदि उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हैं । इस प्रकार,

समुचित मामलों में, वह न्यायालय के आदेश प्राप्त करके उस उपबंध के अधीन गिरफ्तारी से बच सकता है ।

99. यह उल्लेख करना भी सुसंगत है कि **जोगिन्दर कुमार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि पुलिस द्वारा नेमी रीति में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है । कुछ महत्वपूर्ण मताभिव्यक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं :–

> "कोई भी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किए जाने के अभिकथन मात्र के आधार पर नेमी रीति में नहीं की जा सकती है । किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी नागरिक के सांविधानिक अधिकारों के संरक्षण के हित में और संभवतः उसके अपने हित में यह विवेकपूर्ण होगा कि किसी परिवाद की वास्तविकता और सद्भाविकता के बारे में कुछ अन्वेषण करने के पश्चात् युक्तियुक्त समाधान हुए बिना और व्यक्ति की सह-अपराधिता के बारे में और गिरफ्तारी को प्रभावी करने की आवश्यकता के बारे में युक्तियुक्त विश्वास किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए । किसी व्यक्ति को उसकी स्वाधीनता से वंचित करना एक गंभीर मामला है । पुलिस आयोग की सिफारिशों में दैहिक स्वाधीनता और स्वतंत्रता के मूल अधिकार की सांविधानिक सहवर्तिताओं को मात्र प्रतिबिंबित किया गया है । किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध में सह-अपराधिता के संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की राय में कुछ युक्तियुक्त न्यायौचित्य अवश्य होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक और न्यायोचित है । यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को थाने में उपस्थित होने और अनुज्ञा के बिना थाना छोड़ने की सूचना जारी करता है तो जघन्य अपराधों के सिवाय कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए ।"

100. संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना और धारा 41 के अधीन अभियुक्त व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाना, ये दोनों पूर्णतः भिन्न-भिन्न बातें हैं । यह कहना सही नहीं है कि केवल इस कारण कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई है इसलिए अभियुक्त व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है । यह

---

[1] (1994) 4 एस. सी. सी. 260.

काल्पनिक भय है कि मात्र इस कारण कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई है, इसलिए अभियुक्त का गिरफ्तार किया जाना अपेक्षित होगा और इसके परिणामस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा की हानि होगी और इस न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार परेशानी से बचाने के लिए यह अभिनिर्धारित करना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक नहीं है । इसका उपचार उन रक्षोपायों को कड़ाई से प्रवर्तित कराने में निहित है जो पुलिस द्वारा की गई मनमानी गिरफ्तारियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं न कि पुलिस को तब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आज्ञापक रजिस्ट्रीकरण से बचाने के लिए अनुज्ञात करने में निहित है जब इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है ।

101. तथ्य से यह भी देखा जा सकता है कि संहिता की धारा 151 पुलिस अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से पूर्व भी, उस अपराध का किया जाना रोकने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुज्ञा देती है यदि उसे अन्यथा नहीं रोका जा सकता है । ऐसी निवारक गिरफ्तारियां 24 घंटे के लिए विधिमान्य हो सकती हैं । तथापि, धारा 151 में महाराष्ट्र राज्य के संशोधन द्वारा उस राज्य में कोई संज्ञेय अपराध किए जाने से पूर्व भी ऐसा अपराध करने से रोकने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को (न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश से) 30 दिन की अवधि तक अभिरक्षा में रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है । इस प्रकार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना प्रत्यक्ष रूप से और/या अपरिवर्तनीय रूप से एक-दूसरे से जुड़ा नहीं है और ये पूर्णतः भिन्न-भिन्न संकल्पनाएं हैं जो पूर्णतः भिन्न-भिन्न पैरामीटर के अधीन प्रवर्तित होती हैं । दूसरी ओर, यदि कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो उसके विरुद्ध धारा 166 के अधीन विचारण चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है ।

102. इसके अलावा, संहिता में पुलिस को अन्वेषण से पूर्व या उसके पश्चात् दोनों दशाओं में मामले को बन्द करने की शक्ति दी गई है । कोई पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण से पूर्ण किसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को पुरोबंध कर सकता है यदि उसे यह प्रतीत होता है कि उसका अन्वेषण करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है । इस धारा में ही यह कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण आरंभ कर सकता है जब उसके पास कोई अपराध किए जाने का संदेह करने का कारण हो । इसलिए, संहिता की धारा 157 के अधीन अन्वेषण करने की अपेक्षाएं

संहिता की धारा 154 के अधीन अपेक्षाओं से अधिक हैं । पुलिस अधिकारी किसी विशेष मामले में मामले का अन्वेषण कर सकता है और उसके बाद मामले को बन्द करने की ईप्सा करते हुए संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट फाइल कर सकता है । इसलिए, पुलिस प्रत्येक ऐसी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में जो संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित इत्तिला प्राप्त होने पर आज्ञापक रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाती है, अन्वेषण आरंभ करने के लिए दायी नहीं है ।

103. इसी प्रकार, पुलिस को अन्वेषण बन्द करने की शक्ति देकर संहिता की धारा 157 यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस संज्ञेय अपराधों का अन्वेषण करने संबंधी अपनी कृत्य का निर्वहन कर रही है, उस पर एक नियंत्रण की तरह भी काम करती है । दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के संबंध में भारत के विधि आयोग की इकतालीसवीं रिपोर्ट में निम्न प्रकार अभिलिखित किया गया है :–

> "14.1. .... यदि अपराध गंभीर प्रतीत नहीं होता है और यदि थाना अधिकारी यह समझता है कि अन्वेषण आरंभ करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो उसे अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि यहां भी उसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी होगी जो पुलिस को अन्वेषण करने का निदेश दे सकता है या यदि मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो स्वयं जांच कर सकता है ।"
>
> "14.2 स्कीम की अवेक्षणीय विशेषता, जिसकी रूपरेखा ऊपर प्रस्तुत की गई है, यह है कि मजिस्ट्रेट को पुलिस अन्वेषण के समस्त प्रक्रमों से अवगत रखा गया है किन्तु वह वास्तविक अन्वेषण में हस्तक्षेप करने या पुलिस को इस संबंध में कोई निदेश देने के लिए प्राधिकृत नहीं है कि वह अन्वेषण किस प्रकार किया जाना है ।"

अतः, संहिता की स्कीम में न केवल यह सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस का समय मिथ्या और तुच्छ इत्तिला पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस को संज्ञेय अपराधों का अन्वेषण करने संबंधी अपने कर्तव्य से जानबूझकर प्रविरत नहीं रहना चाहिए । परिणामस्वरूप, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण के उपबंध का दुरुपयोग होने की आशंका निराधार और काल्पनिक प्रकृति की है ।

104. महाराष्ट्र राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री नफादे

का पक्षकथन यह है कि जब किसी निर्दोष व्यक्ति को मिथ्या रूप से आलिप्त किया जाता है तब उसे न केवल प्रतिष्ठा की हानि होती है बल्कि उसे मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है और उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता का गंभीर रूप से ह्रास होता है । उसने **मेनका गांधी** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लिया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह प्रतिपादना कि जो विधि किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित करती है वह सारवान् तथा प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं पर युक्तियुक्त होनी चाहिए, जो अब हमारी सांविधानिक विधि में प्रबल रूप से स्थापित हो गई है । इसलिए, उसने संहिता की धारा 154 पर नए सिरे से विचार करने का अभिवाक् किया जिसमें संहिता की धारा 154 का निर्वचन अनुच्छेद 21 की आज्ञा के अनुरूप किया गया है ।

105. यह सही है कि समाज के हित और किसी व्यष्टि की स्वाधीनता को संरक्षित करने के बीच एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखना होगा । जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संहिता में पहले ही ऐसे पर्याप्त रक्षोपायों का उपबंध किया गया है जो मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत कराने की दशा में किसी व्यष्टि की स्वाधीनता को सम्यक् रूप से संरक्षा प्रदान करते हैं । इसके साथ-साथ, धारा 154 पीड़ित व्यक्ति और समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रारूपित की गई थी । अतः, हमारा यह सशक्त मत है कि संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला का अनिवार्यतः रजिस्ट्रीकृत किया जाना, जैसा विभिन्न काउन्सेलों द्वारा अर्थ लगाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में नहीं होगा ।

अपवाद

106. यद्यपि हम असंदिग्ध शब्दों में यह अभिनिर्धारित करते हैं कि संहिता की धारा 154 में सभी संज्ञेय अपराधों की इत्तिला प्राप्त होने पर प्रथम इत्तिला रिपोर्टें आज्ञापक रूप से रजिस्ट्रीकृत करना अनुध्यात है फिर भी ऐसे दृष्टांत हो सकते हैं जहां समय के साथ-साथ अपराधों की उत्पत्ति में परिवर्तन और नवीनता के कारण प्रारंभिक जांच करना आवश्यक हो सकता है । ऐसा एक दृष्टांत डाक्टरों की ओर से बरती गई चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित अभिकथनों के मामले में है । किसी चिकित्सा वृत्तिक को परिवाद में किए गए अभिकथनों के आधार पर ही अभियोजित करना अनुचित और असाम्यापूर्ण होगा ।

107. चिकित्सीय उपेक्षा से संबंधित मामलों के संदर्भ में **जैकब मैथ्यु** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित

किया गया था :–

"51. हमारे अभिनिर्धारित करने का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि डाक्टरों को ऐसे किसी अपराध के लिए कभी भी अभियोजित नहीं किया जा सकता है जिसमें उतावलापन या उपेक्षा एक आवश्यक संघटक हैं । हम केवल समाज के हित में सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं क्योंकि चिकित्सा व्यवसायी मानव जीवन को जो सेवा प्रदान करते हैं वह संभवतः सबसे उत्कृष्ट है और इसलिए डाक्टरों को तुच्छ और अन्यायपूर्ण अभियोजनों से संरक्षित करने की आवश्यकता है । अनेक परिवादी अवांछित या अन्यायपूर्ण प्रतिकर प्राप्त करने के लिए चिकित्सा वृत्तिकों पर दबाव डालने के हथियार के रूप में दांडिक प्रक्रिया का अवलंब लेना पसन्द करते हैं । ऐसी द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों से बचना होगा ।

52. भारत सरकार और/या राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके ऐसे कानूनी नियम या कार्यपालक अनुदेश विरचित और जारी किए जाने आवश्यक हैं जिनमें कतिपय दिशानिर्देश सम्मिलित हों । जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, हम भविष्य के लिए कतिपय निर्देश अधिकथित करने की प्रस्थापना करते हैं जो डाक्टरों के ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन को शासित करने चाहिएं जिनमें आपराधिक उतावलापन या आपराधिक उपेक्षा एक संघटक हो । कोई प्राइवेट परिवाद तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है जब तक कि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष किसी अन्य सक्षम डाक्टर द्वारा अभियुक्त डाक्टर की ओर से उतावलेपन या उपेक्षा के आरोप के समर्थन में एक विश्वसनीय राय के रूप में प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिया हो । अन्वेषक अधिकारी को उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य या लोप के अभियुक्त डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व, अधिमानतः ऐसे डाक्टर से, जो सरकारी सेवा में है, चिकित्सा पद्धति की उसी शाखा में अर्हित है और जिसके बारे में सामान्यतः यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वह अन्वेषण में एकत्र तथ्यों पर बोलम कसौटी लागू करके निष्पक्ष और पक्षपातरहित राय देगा, स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सीय राय अभिप्राप्त करनी चाहिए । उतावलेपन या उपेक्षा के अभियुक्त डाक्टर को नेमी रीति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है (मात्र इस कारण कि

उसके विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया है) । जब तक अन्वेषण को अग्रसर करने के लिए या साक्ष्य एकत्र करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक न हो या जब तक अन्वेषक अधिकारी का इस संबंध में समाधान नहीं हो जाता है कि जिस डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, वह जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, स्वयं अभियोजन का सामना करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तब तक गिरफ्तारी रोकी जा सकती है ।"

108. भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में इस न्यायालय ने **पी. सिराजुद्दीन** (उपर्युक्त) वाले मामले में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने से पूर्व प्रारंभिक जांच करने की आवश्यकता व्यक्त की है ।

109. इसी प्रकार, **तपन कुमार सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्रारंभिक जांच को केवल इस आधार पर विधिमान्य ठहराया कि जिस समय प्रथम इत्तिला प्राप्त की जाती है उससे कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है ।

110. अतः, रजिस्ट्रीकृत करने या रजिस्ट्रीकृत न करने के संबंध में विभिन्न परस्पर-विरोधी दावों को ध्यान में रखते हुए केवल इतना आवश्यक है कि पुलिस को दी गई इत्तिला से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होना चाहिए । ऐसी स्थिति में, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है । तथापि, यदि दी गई इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध साबित नहीं होता है तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को तुरंत रजिस्ट्रीकृत करना आवश्यक नहीं है और संभवतः पुलिस यह अभिनिश्चित करने के सीमित प्रयोजन के लिए कि क्या कोई संज्ञेय अपराध किया गया है अथवा नहीं, किसी प्रकार का प्रारंभिक सत्यापन या जांच कर सकती है । किन्तु यदि दी गई इत्तिला में स्पष्ट रूप से किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का उल्लेख होता है तो तत्काल प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं होता है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत किए जाने के प्रक्रम पर अन्य विचारणाएं सुसंगत नहीं हैं, जैसे क्या इत्तिला मिथ्या रूप से दी गई है, क्या इत्तिला सही है, क्या इत्तिला विश्वसनीय है, इत्यादि । ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अन्वेषण के दौरान सत्यापित किया जाना है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने के प्रक्रम पर केवल यह देखा जाना है कि क्या दी गई इत्तिला प्रत्यक्षतः संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करती है । यदि अन्वेषण के पश्चात् दी गई इत्तिला मिथ्या पाई जाती है तो परिवादी को मिथ्या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

फाइल करने के लिए अभियोजित करने का सदैव विकल्प रहता है ।

निष्कर्ष/निदेश

111. उपर्युक्त विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, हम निम्न प्रकार अभिनिर्धारित करते हैं :–

(i) संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का रजिस्ट्रीकृत किया जाना आज्ञापक है यदि इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच अनुज्ञेय नहीं है ।

(ii) यदि इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है किन्तु उससे जांच की आवश्यकता उपदर्शित होती है तो प्रारंभिक जांच केवल यह अभिनिश्चित करने के लिए की जा सकती है कि क्या संज्ञेय अपराध प्रकट होता है अथवा नहीं ।

(iii) यदि जांच से कोई संज्ञेय अपराध किया गया प्रकट होता है तो प्रथम इत्तिला अवश्य रजिस्ट्रीकृत की जानी चाहिए । ऐसे मामलों में, जहां प्रारंभिक जांच का अंत परिवाद को बन्द करने से होता है वहां ऐसे बन्द करने की प्रविष्टि की प्रति प्रथम इत्तिलाकर्ता को तत्काल किन्तु एक सप्ताह के अपश्चात् प्रदत्त की जानी चाहिए । इसमें परिवाद को बन्द करने और उस पर आगे कार्यवाही न करने के कारण संक्षेप में प्रकट किए जाने चाहिएं ।

(iv) पुलिस अधिकारी अपराध रजिस्ट्रीकृत करने संबंधी अपने कर्तव्य से तब बच नहीं सकता है यदि संज्ञेय अपराध प्रकट होता है । ऐसे दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए जो तब भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत नहीं करते हैं यदि उनके द्वारा प्राप्त इत्तिला से संज्ञेय अपराध प्रकट होता है ।

(v) प्रारंभिक जांच की परिधि, प्राप्त की गई इत्तिला की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है बल्कि केवल यह अभिनिश्चित करना है कि क्या इत्तिला से कोई संज्ञेय अपराध प्रकट होता है ।

(vi) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है । उन मामलों के प्रवर्ग, जिनमें प्रारंभिक जांच की जा सकती है, निम्नलिखित हैं :–

(क) विवाह-विषयक विवाद/कौटुम्बिक विवाद

(ख) वाणिज्यिक अपराध

(ग) चिकित्सीय उपेक्षा वाले मामले

(घ) भ्रष्टाचार के मामले

(ङ) ऐसे मामले, जिनमें दांडिक अभियोजन आरंभ करने में असामान्य विलंब/अतिविलंब किया गया है, उदाहरणार्थ, मामले के संबंध में रिपोर्ट करने में हुए विलंब के लिए कारणों को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट किए बिना तीन मास से अधिक का विलंब होता है । उपर्युक्त मामले केवल दृष्टांत स्वरूप हैं और इससे वे स्थितियां निःशेष नहीं हो गई हैं जिनमें प्रारंभिक जांच आवश्यक हो सकती है ।

(vii) अभियुक्त और परिवादी के अधिकारों को सुनिश्चित और संरक्षित करते हुए प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी दशा में इसकी अवधि सात दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए । ऐसे विलंब संबंधी तथ्य और उनके कारण साधारण डायरी प्रविष्टि में प्रतिबिंबित किए जाने चाहिएं ।

(viii) चूंकि साधारण डायरी/थाना डायरी/दैनिक डायरी किसी पुलिस थाने में प्राप्त की जाने वाली समस्त इत्तिला का अभिलेख होता है इसलिए हम यह निदेश देते हैं कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित समस्त इत्तिला, चाहे उसके परिणामस्वरूप प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाती है या उसके परिणामस्वरूप कोई जांच की जानी है, उक्त डायरी में आज्ञापक रूप से और सूक्ष्म रूप से प्रतिबिंबित होनी चाहिए और प्रारंभिक जांच करने का विनिश्चय भी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अवश्य ही प्रतिबिंबित होना चाहिए ।

112. उक्त निदेशों के साथ हम उस निर्देश का, जो हमें किया गया है, निपटारा करते हैं । सभी मामले समुचित न्यायपीठ के समक्ष गुणागुण के आधार पर निपटारे के लिए सूचीबद्ध किए जाएं ।

निर्देश का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.